संयुक्तांक

राजभाषा सिक्किम

(भाषा, साहित्य और शिक्षा का नवीन संगम)

(जुलाई – दिसंबर 2023 और जनवरी – जून 2024)

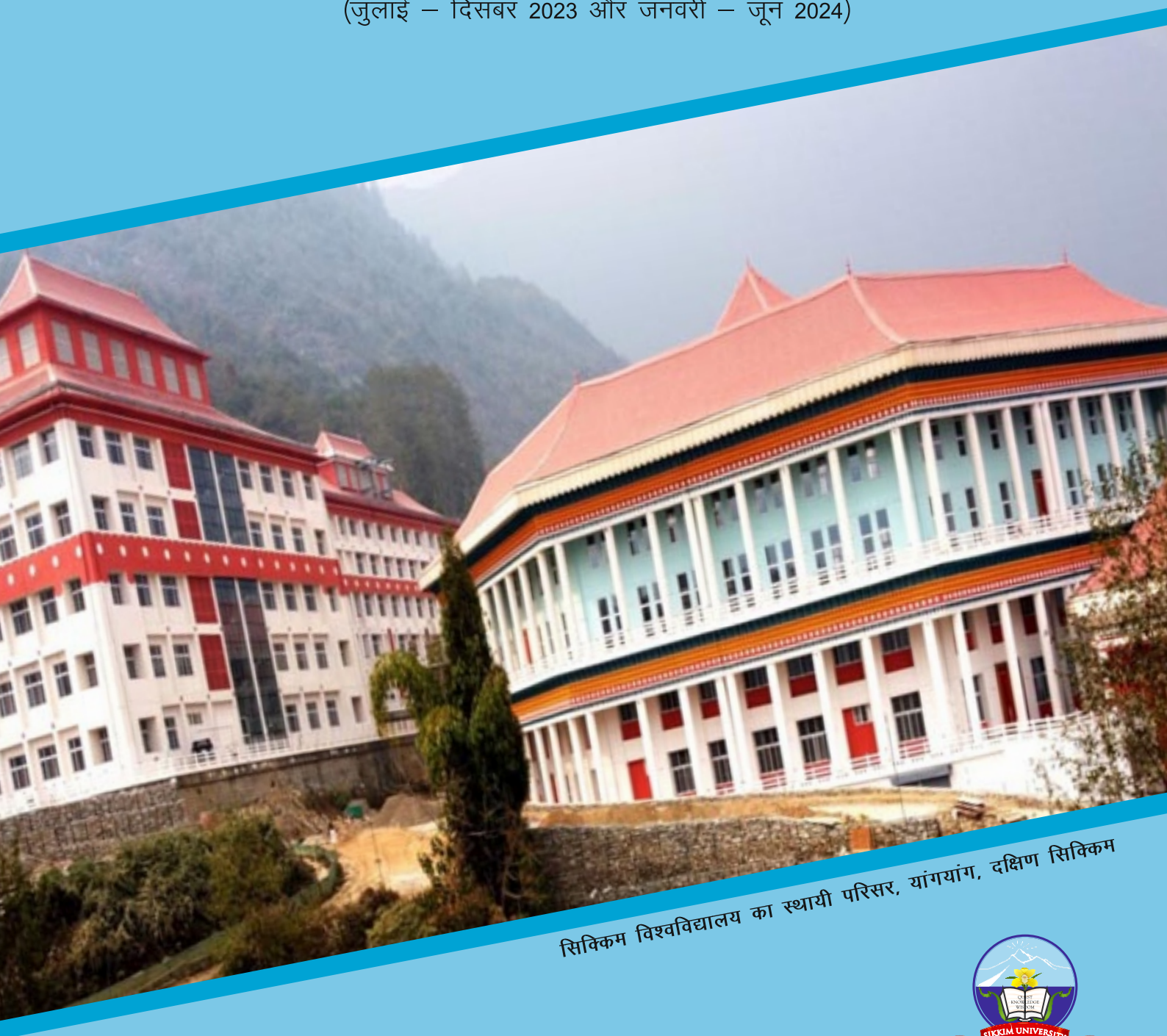

सिक्किम विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर, यांगयांग, दक्षिण सिक्किम

सिक्किम विश्वविद्यालय

6 माइल, तादोंग, गंगटोक

www.cus.ac.in

राजभाषा सिक्किम

(भाषा, साहित्य और शिक्षा का नवीन संगम)

(जुलाई - दिसंबर 2023 एवं जनवरी - जून 2024)

वर्ष : 2023–24

अंक – 2 एवं 3 (संयुक्तांक)

सिक्किम विश्वविद्यालय

6 माइल, तादोंग, गंगटोक

www.cus.ac.in

राजभाषा सिक्किम

(भाषा,साहित्य और शिक्षा का नवीन संगम)
अर्धवार्षिक पत्रिका
(जुलाई-दिसंबर 2023 एवं जनवरी - जून 2024)

संरक्षक – प्रो. (डॉ.) ज्योति प्रकाश तामांग, कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय

मुख्य सलाहकार – प्रो. लक्ष्मण शर्मा, कुलसचिव (प्रभारी), सिक्किम विश्वविद्यालय

परामर्श मण्डल
– प्रो. एस. एस. महापात्र, वित्त अधिकारी (प्रभारी)
– डॉ. एस मुरली मोहन, परीक्षा नियंत्रक
– प्रो. रोजी चामलिंग,डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

मुख्य संपादक – सुश्री जुतिका गोस्वामी, हिंदी अधिकारी

संपादक मण्डल
– डॉ. गोरखनाथ तिवारी, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग
– डॉ. दिनेश साहू, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
– डॉ. चुकी भूटिया, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
– डॉ. प्रदीप त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
– डॉ. सुजाता उपाध्याय, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग
– डॉ. धृति रॉय, सह प्राध्यापक, चीनी विभाग
– डॉ. देवचंद्र सुब्बा, सहायक प्राध्यापक, नेपाली विभाग

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक,
हिंदी प्रकोष्ठ,
सिक्किम विश्वविद्यालय,
6 माइल, सामदूर, तादोंग,
गंगटोक, सिक्किम – 737102
ईमेल – hc@cus-ac-in
वैबसाइट – www-cus-ac-in

अनुक्रमणिका

1	कुलपति का संदेश	02
2	कुलसचिव का संदेश	02
3	संपादकीय	03
4	हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट 1. हिंदी पखवाड़ा– 2023 2. एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी–संक्षिप्त रिपोर्ट 3. पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण –संक्षिप्त रिपोर्ट	06 06 08 09
5	राजभाष विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये जानेवाले पुरस्कार के संबंध में	09
6	कवितायें :	11
	सुश्री सुमन बान्तवा की कवितायें 1. देखने के लिए 2. अनुवाद	12 12 13
	सुश्री मिलिशा महापात्र की कवितायें 1. घर से कहीं दूर 2. अंत ही अनंत	14 14 15
	धुंधलका – डॉ. निधि सक्सेना	16
	तीस्ता – श्री इरफान अहमद	11
	जीवन एक अभिलाषा – डॉ. सुजाता उपाध्याय	17
7	धरोहर कामायनी – दूसरा सर्ग	18 18
8	लेख	23
	धरोहर का वाहक : हमारे संग्रहालय – डॉ. अंबिका ढाका	23
	महिला अधिकार– महिला सशक्तिकरण – डॉ. निधि सक्सेना और डॉ. वीर मयंक	26
	नरेश सक्सेना और मनप्रसाद सुब्बा की कविताओं में प्रकृति चेतना – सुश्री सबनम भुजेल	31
	माँ भारती के माथे की बिन्दी 'हिंदी' – कुँवर अखंड प्रताप सिंह	34
	हिंदी भाषा और अनुवाद की वर्तमान झलक – श्री नवीन कुमार यादव	39
10	अनुभव	43
	संवेदना – डॉ. सुजाता उपाध्याय	43
	मोबाइल और बच्चे – श्रीमती पिंकी राई	44
11	सिक्किम में आई बाढ़ – एक रिपोर्ट– श्री गगन सेन छेत्री	45
12	विश्वविद्यालय में आयोजित राजभाषा हिंदी की विभिन्न गतिविधियों की एक झलक	47
13	प्रशासनिक लघु वाक्य	57
14	लेखकों से अनुरोध	58

प्रो. (डॉ.) ज्योति प्रकाश तामांग
कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा अर्धवार्षिक पत्रिका "राजभाषा सिक्किम" के संयुक्तांक (द्वितीय एवं तृतीय अंक) का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका के माध्यम से हमारे छात्रों, संकायों और कर्मचारियों के बीच हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उन्हें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक उपयोगी मंच मिलेगा। यह पत्रिका पूरे भारत में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कार्यालयों में भाषाई सौहार्द के प्रसार के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी और राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को दृढ़ता प्रदान करेगी ।

मैं राजभाषा सिक्किम के प्रकाशन में संपादक मण्डल के अथक परिश्रम की सराहना करता हूँ और "राजभाषा सिक्किम" की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए इस संयुक्तांक (द्वितीय एवं तृतीय अंक) के उद्देश्यपूर्ण सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

प्रोफेसर डॉ. ज्योति प्रकाश तामांग
कुलपति
सिक्किम विश्वविद्यालय

प्रो. लक्ष्मण शर्मा
कुलसचिव (प्रभारी), सिक्किम विश्वविद्यालय

संदेश

सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा अर्धवार्षिक पत्रिका "राजभाषा सिक्किम" के संयुक्तांक (द्वितीय एवं तृतीय अंक) का प्रकाशन हो रहा है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है।

हिंदी केवल हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति की संवाहिका भी है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे बोली जानेवाली भाषा है। केंद्र सरकार ने राजभाषा हिंदी के व्यापक एवं सतत विकास के लिए राजभाषा विभाग का गठन किया है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय संस्थानों में राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए राजभाषा नीति और दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते सिक्किम विश्वविद्यालय राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुझे आशा है कि "राजभाषा सिक्किम" पत्रिका का प्रकाशन से विश्वविद्यालय के छात्रों, संकायों और कर्मचारियों के बीच हिंदी के पठन–पाठन के प्रति रुचि बढ़ेगी ।

राजभाषा सिक्किम की पूरी टीम को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं ।

प्रो. लक्ष्मण शर्मा
कुलसचिव (प्रभारी)
सिक्किम विश्वविद्यालय

संपादकीय

सिक्किम विश्वविद्यालय की राजभाषा पत्रिका "राजभाषा सिक्किम" के संयुक्तांक (द्वितीय और तृतीय अंक) को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। इस अंक में कविता, कहानी,शोध लेख, अन्य लेख, अपना अनुभव, अनुवाद आदि विभिन्न विधाओं में लेख प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस अंक में प्रकाशित रचनाओं को पढ़कर पाठक संतुष्ट होंगे।

कहा जाता है "हर लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है"। इसी लंबी यात्रा को तय करने के उद्देश्य के साथ हमारी राजभाषा पत्रिका एक–एक कदम आगे बढ़ रही है। पत्रिका के इस संयुक्तांक में रचनाएँ भेजनेवाले सभी लेखकों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आगे भी इस प्रकार रचनाएँ भेजते रहें ताकि पत्रिका को समय पर प्रकाशित किया जा सकें। रचनाएँ अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ–साथ भाषा की पकड़ को भी मजबूती देती है। विश्वविद्यालय की गृह पत्रिका "राजभाषा सिक्किम" ने विश्वविद्यालय में राजभाषा हिन्दी के निरंतर प्रचार–प्रसार एवं विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी यह क्रम चलता रहेगा।

पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में आई बाढ़ ने सिक्किम के जनजीवन को बुड़ी तरह से प्रभावित किया। कई जानें गयी, लाखों की आर्थिक नुकसान हुई और लगातार एक महीने तक जनजीवन अस्त–व्यस्त रहें । धीरे धीरे सिक्किम उस संकट से उबर रहा है। पत्रिका में भी उस समय की परिस्थिति का एक झलक देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जीवन का प्रतिबिंब है। हमारे आस–पास जो कुछ भी घटित होता है, उसी घटनाओं का सीधा–सीधा प्रतिबिम्बन है साहित्य। किसी भी समय की रचनाओं को पढ़कर उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

मैं "राजभाषा सिक्किम" के सभी लेखकों को रचना भेजने हेतु आभार व्यक्त करती हूँ और संपादक मण्डल को इस संयुक्तांक के सफल सम्पादन करने हेतु हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और आगे भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। ।

शुभकामनाओं के साथ,

जुगोस्वामी

(जुतिका गोस्वामी)
हिंदी अधिकारी एवं मुख्य संपादक

राजभाषा से संबंधित विभिन्न पुरस्कार

भारत सरकार के राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रदान करते आ रहे है।

क) राजभाषा गौरव पुरस्कार : आधुनिक ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष भारतीय नागरिकों को "राजभाषा गौरव" पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

प्रथम पुरस्कार – रु. 2,00,000/– (दो लाख रुपये), प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार – रु. 1,25,000/– (एक लाख पचीस हजार रुपये), प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार – रु. 75,000/– (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिन्ह

ख) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार : राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करनेवाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड, स्वायत्व निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राजभाषा गृह पत्रिका को प्रति वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र अर्थात 'क','ख' और 'ग' क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करनेवाले मंत्रालय, विभाग आदि को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड दिये जाते हैं। राजभाषा गृह पत्रिका के लिए "क", "ख", और "ग" क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ दो पत्रिकाओं को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिये जाते है।

विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की आधिकारिक वैबसाइट www.rajbhasha-org.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय स्तर पर दिये जाने वाले विभिन पुरस्कार और प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :

1. राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी में टिप्पणी लेखन, रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करने के लिए 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिए 20,000 शब्द और 'ग' क्षेत्र के लिए 10,000 शब्द पूरा करनेवाले कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार (नगद राशि) प्रदान किए जाते है। ये पुरस्कार अपने–अपने कार्यालय स्तर पर दिये जाते हैं।

   पुरस्कार राशि निम्नानुसार है :

   प्रथम पुरस्कार : रु. 5000/– (2 पुरस्कार)
   द्वितीय पुरस्कार : रु. 3000/– (3 पुरस्कार)
   तृतीय पुरस्कार : रु. 2000/– (5 पुरस्कार)

2. हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को संबंधित कार्यालय द्वारा नगद पुरस्कार

और प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले कर्मचारियों को नगद पुरस्कार के साथ–साथ एक वर्ष की वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

क. प्रबोध

70% प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	1600/-
60% प्रतिशत किन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-
55% प्रतिशत किन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/-

ख. प्रवीण

70ः प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	1800/-
60% प्रतिशत किन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	1200/-
55% प्रतिशत किन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	600/-

ग. प्राज्ञ

70% प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	2400/-
60% प्रतिशत किन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
55% प्रतिशत किन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

घ. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

97% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
95% अंक अथवा उससे अधिक किन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
90% अंक अथवा उससे अधिक किन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

ङ. हिंदी आशुलिपि

97% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
92% अंक अथवा उससे अधिक किन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
88% अंक अथवा उससे अधिक किन्तु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

3. हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करनेवाले कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । प्रत्येक विजेताओं को नगद राशि और प्रमाणपत्र दिये जाते है। पुरस्कार राशि पूरी तरह से संबधित कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए चार पुरस्कार रखे जाते है। सभी विजेताओं को नगद राशि के साथ प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते है।
पुरस्कार राशि निम्नानुसार है :

प्रथम पुरस्कार — 5000/—
द्वितीय पुरस्कार — 4000/—
तृतीय पुरस्कार — 3000/—
सांत्वना पुरस्कार — 2000/—

****

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां :

हिंदी पखवाड़ा – 2023

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2023 का सफल आयोजन
(14 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक)

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस के मौके पर 14 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा –2023 का आयोजन किया। चूंकि 14 सितंबर 2023 को पुणे में अखिल भारतीय हिंदी दिवस एवं सेमिनार में हिंदी पखवाड़ा की शुरुआत की गई थी। इसलिए, विश्वविद्यालय में 18 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़े के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों, संकायों और कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा से संबंधित विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों के लिए तीन प्रतियोगिताएं और शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :

1. **हिंदी निबंध प्रतियोगिता**
2. **हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता**
3. **अंताक्षरी प्रतियोगिता (सभी छात्रों, संकायों एवं कर्मचारियों के लिए)**

कर्मचारी/संकाय सदस्यों के लिए हिंदी के प्रयोग से संबंधित कुल चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :

1. **श्रुतलेख प्रतियोगिता**
2. **पत्र लेखन प्रतियोगिता**
3. **टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता**
4. **आशु भाषण प्रतियोगिता**

प्रत्येक प्रतियोगिता में चार पुरस्कार रखे गए क्रमशः प्रथम पुरस्कार (5000 रुपये), द्वितीय पुरस्कार (4000 रुपये), तृतीय पुरस्कार (3000 रुपये) और सांत्वना पुरस्कार (2000 रुपये)।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता : दिनांक 18 सितंबर 2023 को शाम 3 बजे छात्रों के लिए आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों से कुल 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस वर्ष की हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के विषय – सिक्किम में हिंदी, नई शिक्षा नीति और सिक्किम विश्वविद्यालय, सोशल मीडिया – प्रभाव एवं परिणाम, महिला सशक्तिकरण – आज की जरूरत, सिक्किम में पर्यटन – अवसर एवं चुनौतियाँ और स्वच्छ भारत अभियान थे। इस प्रतियोगिता के मूल्यांकक डॉ. दिनेश साहू, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, डॉ. प्रदीप त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग थे।

काव्य पाठ प्रतियोगिता : दिनांक 25 सितंबर 2023 को शाम 3:30 बजे आयोजित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा स्वरचित अथवा

किसी अन्य कवि की कविता को बढ़ी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में डॉ. गोरख नाथ तिवारी, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग डॉ. प्रदीप त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, डॉ. मंजू राणा, सहायक प्राध्यापक थे। सभी प्रतिभागियों ने प्रभावशाली तरीके से कविता का पाठ किया।

अंताक्षरी प्रतियोगिता : दिनांक 27 सितंबर 2023 को शाम 3 बजे से छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें कुल 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसे 13 टीम में विभाजित कर दी गई। प्रतियोगिता में सामान्य हिंदी गीत,सिनेमा को पहचना एवं उसी सिनेमा से गीत गाना, अभिनेता–अभिनेत्री का नाम बताना, संवाद को पहचनाना आदि कई चरण थे।

श्रुतलेख प्रतियोगिता : दिनांक 19 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/संकाय सदस्यों के लिए श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्रुतलेख प्रतियोगिता के मूल्यांकक डॉ. सुजाता उपाध्याय, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग थीं। प्रतियोगिता में कुल 50 प्रशासनिक शब्दों का श्रुतलेख दिया गया था।

पत्र लेखन प्रतियोगिता : विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/संकाय सदस्यों के लिए हिंदी में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 5 विषय दिये गए थे। जिनमें से 2 विषयों पर पत्र लिखना था। निर्धारित समय पर सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने चुने हुए विषय पर पत्र लिखा। प्रतियोगिता में कुल 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता के मूल्यांकन का कार्य डॉ. दिनेश साहू, सहायक प्राध्यापक ने किया।

टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता : विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/संकाय सदस्यों के लिए हिंदी में टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 5 विषय दिये गए थे। जिनमें से 2 विषयों पर टिप्पणी लिखना था। निर्धारित समय पर सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने चुने हुए विषय पर टिप्पणी लिखी । प्रतियोगिता में कुल 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन का कार्य श्री जुतिका गोस्वामी, हिंदी अधिकारी ने किया ।

आशु भाषण प्रतियोगिता : हिंदी पखवाड़े के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे से हिंदी में आशु भाषण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुछ विषयों की पर्ची रखी गयी थी, उसमें से प्रतिभागी को एक पर्ची उठाकर उसमें लिखे विषय पर भाषण देना था। प्रतियोगिता में कुल 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में डॉ. सुजाता उपाध्याय, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग, डॉ. दिनेश साहू, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग उपस्थित थे।

समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण :

सिक्किम विश्वविद्यालय हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को हिंदी पखवाड़ा –2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश खरे

और विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के.वी.एस.कामेश्वर राव, वित्त अधिकारी श्री प्रताप केशरी दाश और परीक्षा नियंत्रक डॉ. एस. मुरली मोहन उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने अपने भाषण में विश्वविद्यालय में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डाला और उन्होने पूरे पूर्वोत्तर में सिक्किम विश्वविद्यालय में सबसे अधिक हिंदी के कार्य हो रहे कार्यों को भी रेखांकित किया। उन्होने सभी कर्मचारी को हिंदी में कार्य करने के लिए यथा–संभव प्रयास करने हेतु प्रेरित किया। वित्त अधिकारी ने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में हिंदी में कार्य करने के लिए सभी कर्मचारियों को आह्वान किया। अध्यक्षीय भाषण में कुलपति महोदय ने विभिन्न उदाहरणों सहित सिक्किम विश्वविद्यालय में हिंदी के बढ़ते कदमों पर प्रकाश डाला। समापन समारोह के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को सिक्किम में हो रहे बाढ़ भयावह स्थिति और उसमें निधन लोगों के स्मरण में रद्द किया गया और कार्यक्रम के प्रारम्भ में उन विदेही आत्मा की शांति हेतु एक मिनट का मौन रखा गया।

समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में चार पुरस्कार दिये गाय – प्रथम द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार में रु. 5000, द्वितीय में रु. 4000, तृतीय में रु. 3000 और प्रोत्साहन पुरस्कार में रु. 2000 नगद पुरस्कार दिये गए और सभी प्रतियोभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

एक दिवसीय राष्ट्रीय राजभाषा संगोष्ठी – दिनांक 23 जून 2023

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को रापज्योर कावेरी हॉल में श्राजभाषा के विविध आयाम – चुनौतियाँ और समाधानश विषय पर एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक (प्रभारी), राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और श्री बदरी यादव, उप निदेशक (प्रभारी) और कार्यालय प्रमुख, राजभाषा कार्यान्वयन विभाग (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश खरे जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के.वी.एस.कामेश्वर राव, विश्वविद्यालय के भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के संकायध्यक्ष प्रो. रोजी चामलिंग जी भी मंच पर उपास्थित थे। संगोष्ठी का उदघाटन समारोह अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ किया गया ।

प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक, राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राजभाषा नीति और कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित विभिन्न चुनौतियों एवं समाधान पर विस्तार से चर्चा की। विशिष्ट अतिथि श्री बदरी यादव, कार्यालय प्रमुख, राजभाषा कार्यान्वयन (पूर्वोत्तर) ने पूर्वोत्तर में हिंदी की स्थिति पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कार्य को रेखांकित किया और भविष्य में विश्वविद्यालय में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के आश्वासन दिया। इसी अवसर पर विश्वविद्यालय के अर्धवार्षिक राजभाषा पत्रिका "राजभाषा सिक्किम" के प्रवेशांक का विमोचन किया गया।

उदघाटन सत्र के बाद श्राजभाषा के विविध आयाम – चुनौतियाँ और समाधानश पर दो सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता हिंदी विभाग के प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी ने की । दूसरे सत्र की

अध्यक्षता हिंदी विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. गोरखनाथ तिवारी ने की जिसमें सिक्किम के स्थानीय विद्वानों को बुलाया गया और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थियों ने अपने –अपने विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। सभी पेपर प्रस्तुत करनेवाले शोधार्थियों को प्रमाणपत्र दिये गए।

अंत में विश्वविद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (11–15 दिसंबर 2023)

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली और राजभाषा कार्यान्वयन (पूर्वोत्तर) गुवाहाटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक दिनांक 11 दिसंबर, 2023 से 15 दिसंबर, 2023 तक सिक्किम विश्वविद्यालय के बराद सदन, सम्मेलन कक्ष में पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हिंदी विभाग के विभागाध्यक्षडॉ. हरदीप सिंह ने की। उद्घाटन समारोह में हिंदी विभाग के प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विषय विशेषज्ञ के दो प्रतिनिधि श्रीमती लेखा सरीन (सहायक निदेशक) एवं श्री जगत सिंह रोहिल्ला (सहायक निदेशक) उपस्थित थे। उक्त प्रशिक्षण में पूर्वोत्तर भारत के भारत सरकार विभिन्न कार्यालयों से राजभाषा से जुड़े लगभग 40 प्रतिभागी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक दिन दो सत्र का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। द्वीतीय सत्र में श्री जगत सिंह रोहिल्ला, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों पर व्यावहारिक चर्चा की गई। पांच दिनों में अनुवाद एवं राजभाषा से जुड़े सभी पहलूओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार रहा।

दिनांक 11.12.2023 को अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के उपरांत– अनुवाद का अर्थ, परंपरा एवं महत्व, अनुवाद के साधन व उपकरण इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई।

दिनांक 12.12.2023 कोपरम पावन 14वें दलाई लामाबोधिसत्व (लकलेन सोदुन्मा) की 37 प्रथाओं और बोधिचित्त उत्पन्न समारोह (सेम्यकी) पर धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गंगटोक, सिक्किम का दौरा के कारण परिवहन सुविधा न होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित रहा।

दिनांक 13.12.2023 को अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार एवं सीमाएं और अनुवाद के अन्य रूप पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों को अनुवादक के गुण एवं अवगुण पर विस्तार से अवगत कराया गया और अनुवादक के तौर पर ली जानेवाली सतर्कता के बारे में भी अवगत कराया गया।

दिनांक 14.12.2023 को शब्द निर्माण, परिभाषिक शब्दावली एवं प्रशासनिक शब्दावली पर विस्तृत चर्चा की गई । सभी प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्र जैसे विधि, वैज्ञानिक, कार्यालयी पारिभाषिक शब्दावली पर व्यावहारिक ज्ञान का प्राप्त हुआ।

दिनांक 15.12.2023 को में हिंदी भाषा का मानकीकरण एवं राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलूओं पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक रूप से व्यापक चर्चा की गई।

दिनांक 15.12.2023 को अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। प्रशिक्षण के समापन समारोह के दिन सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के प्रभारी श्री बदरी यादवएवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से श्रीमती लेखा सरीन,सहायक निदेशक एवं श्री जगत सिंह रोहिल्ला, सहायक निदेशक उपस्थित थे। उक्त पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण में भाग लेनेवाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

****

पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी की कविता का अंश

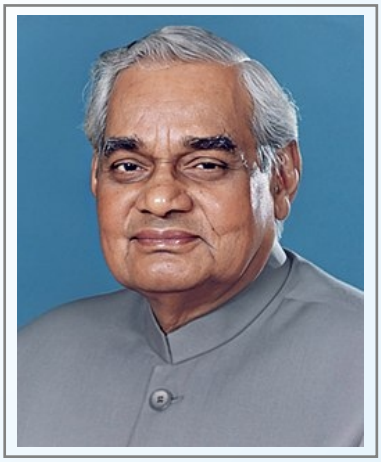

कदम मिला कर चलना होगा

बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते हँसते
आग लगाकर जलना होगा।

क़दम मिलाकर चलना होगा।

कवितायें :-

तीस्ता

इरफान अहमद
सहायक प्राध्यापक, चीनी विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय

वो कल–कल बहती तीस्ता
जिसमें झरनों का पानी रिसता

तीस्ता जो भारत की शान
तीस्ता जो सिक्किम का गान

हिमालय से है उतरी माता
इससे है जननी का नाता

पर्वत में इसका यौवन भाता
रूप रंग है बड़ा सुहाता

पर्वतों के बीच की धारा
इसमें दिखता जीवन सारा

कभी तेज बहे कभी थम–थम
जीवन की गति भी सीखें हम

कहती है रुक जाना मत
बढ़त–बढ़त तू चलत–चलत

देख मेरी अल्हड़–सी धार
मस्ती में है जीवन का सार ॥

****

डॉ.सुमन बान्तवा, नेपाली विभाग की कवितायें

1. देखने के लिए

एक निर्जन वन में बसे
एक गाँव को देखा मैंने ।
जिस गाँव में
खून पी–पीकर
जीने वालों को देखा ।
बैठे–बैठे खाने वालों को देखा ।
हड्डीव घिस–घिसकर खाने वालों को देखा ।
पाप के साम्राज्य में
धर्म को लुटने वालों को देखा ।

यहाँ पर मैंने
आँसु की मैली तालाब में
खुशी के रंगीन मछलियों को तैरते देखा ।
औरसोये हुए लोगों को

नींद से जगाने वाला
एक फकिर को
रात–रातभर अकेला चलते देखा ।
मैंने इस गॉव में
ना जाने क्या–क्या देखा !
क्या–क्या नही देखा !

यहाँ पर मैंने
ऐसा भी देखा ।
वैसा भी देखा ।
जादू की छड़ी हाथ में लेकर
राह चलते आदमी को
भैंड़ बनाते देखा । और
उसी भैंड़ की ऊन काटकर
व्यापार करने वालों को भी देखा ।
इस गाँव में मैंने
टहनी से गिरकर
काँटों की झाड़ी में –
घायल बनी हुई
खून से रंगी हुई
गुलाब के चंद फूलों को देखा ।
दम तोड़ती गुलाब की
चंद पत्तियों को देखा ।

इस गाँव में मैंने,
ऐसा भी देखा ।
वैसा भी देखा ।
मगर यहाँ पर मैंने,
एक दिल से दूसरे दिल तक
यात्रा करने का
कोईरास्ता नहीं देखा ।
एक दिल से दूसरे दिलको
झाँकने का
कोईजरिया नहीं देखा ।
खिड़की नहीं देखा ।

2. अनुवाद

हे कवि,
अनुवाद कर दो मुझे
अपने शब्दों में।
अपने शब्दों की हरियाली में। –
कहते हुए
एक उदास जंगल
कटे पेड़ की टहनी में बैठकर
चीखता रहता है।
और
भावुक बनकर
अपने गुजरे
युंदर यौवन को।
याद करता है
अपनी छाँव में लेटकर
कविता लिखने वाले
एक गोपाल कवि को।
लेकिन जब से
यह नव
तब्दील होने लगा है
एक बंजरभूमि में
एक उदास मरूभूमि में
तब से यहाँ
न कोई हरे पेड़ दिखाई देता है
न कोई हरी घाँस दिखाई देती है।
और
न कोई ऐसी शीतल छाँव
जिस छाँव तले
उग आता कोई
कवि और
उसकी कविता!
यहाँ तो आज
जंगल है मगर
बगैर पेड़ की!
बगैर सरसराहट पत्तों की !
चिड़ियों के घाँसले की!
पंक्षी और तितलियों की!
ऐसे में
कहाँ से आता है कोई
गोपाल कवि
यहाँ पर
लिखने के लिए
कविता हरा हरा!

****

सुश्री मिलिशा महापात्र की कविताएं

सुश्री मिलीशा महापात्र
रिसर्च इंजीनियर,,
दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र ,
भारत सरकार, बैंगलोर

1. घर से कहीं दूर

न जाने यह वक्त हमे कंहा ले आया,
आगे बढ़ने की कश्मकश में पुराने रास्ते बदल दिए
न जाने यह कौन सा मोड़ है,
इस बेशुमार भीड़ में किसी अपने की तालाश है
कोई ऐसा जो कुछ न कहकर भी सब समझ जाए,
कोई ऐसा जो घर की याद दिला जाए ।

न जाने यह कौन सा मोड़ है, जंहा हर गली हर घर अंजान है,
यहां हर लम्हा लगता जैसे कोई इम्तिहान है ।
नए शहर के साथ आये नए सवाल है,
घर से दूर होने का मन में फिर भी मलाल है ।
यहां चुनौतियों से भरा आया मेरे लिए एक पैगाम है,
क्या यह इस नए शहर का अभिमान है ?

न जाने क्यों, इन सनाटों भरी सड़को में गुमनामी छायी थी,
आगे बढ़ने के लिए, न था कोई दोस्त न ही था कोई हमराही ।
तब चाँद से उधार ली थी मैंने रौशनी भरी थोड़ी स्याही,
फिर उससे मैंने लिखी, इस नई शुरुआत की एक नयी कहानी ।
माना मैंने इस नए शहर ने दिया मुझे मौका अपनी काबिलियत दिखाने को ।
पर क्या यही तरीका अपनाया नियति ने मुझे कुछ नया सिखाने को?

धीरे–धीरे समय बीतता गया,
आखिर इस नए शहर को मैंने अपना ही लिया ।
न था कुछ सरल, न ही था कुछ आसान,
बस अचल रखा मन में होसंला और आँखों में अरमान ।
आखिर मुश्किलों से भी लड़ना मैंने सीख ही लिया,
न जाने कैसे, मगर अब यह नया शहर ही मुझे मेरे घर–सा लगने लगा ।

2. अंत में ही अनंत.....

वक्त के इस खेल में,
आगे बढ़ने के उस दौड़ में,
अँधेरे से उस मोड़ पर ,
ठहर गए सवाल हजार।

डर के उस बाजार में,
खोये हुए ख्यालों में,
साहस से तुम कदम बढ़ाओ।
दिल में भरे जूनून को जगाओ।

वो अंत में ही अनंत है।
उस अंत का कोई अंत नहीं।
वो कोई पूर्ण विराम नहीं
एक नई सोच की शुरूआत है।

जब डगमग–सी बदलती रहे दिशा,
दिल की आवाज सुनो हमेशा ।
कोई राह आसान नहीं,
इतना खुशनसीब इंसान नहीं।

इस अधर्म के मायाजाल में,
कर्म को ही धर्म बनाओ।
श्रम के बिना पहचान कहां?
बाकि सब तो है भ्रम यहां।

नई सुबह में नये जोश से,
नई चुनौतियों के आगोश में।
बदलते किरदारों की बात पुरानी,
लिखो तुम अपनी नयी कहानी।

नई किरदारों के ये नए किस्से,
बनते हैं जीवन के नए हिस्से।
अनुभव और ज्ञान को रखना साथ,
तभी खुशियों की तितलियाँ आएँगी हाथ।

****

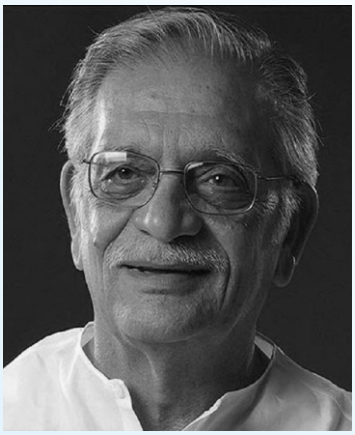

गुलजार की कुछ शायरियाँ

"एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचौनियां पाल लीं,
और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए हमने जिंदगी संभाल ली"।

"पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है,
भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है" ।

"समेट लो इन नाजुक पलों को ना जाने ये लम्हें हो ना हो,
हो भी ये लम्हें क्या मालूम शामिल उन पलो में हम हो ना हो"।

धुंधलका

डॉ निधि सक्सेना
विधि विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय

उस रात का धुंधलका जब हल्का–हल्का कम हुआ
तो मुझे वह चेहरा दिखाई देने लगा,
जो अबतक मेरे लिए अनजान था!
वह चेहरा मुझे नया रास्ता दिखाता,
लगने लगा मेरे लिए मंजिल का फरमान था!
परंतु जब वह और साफ दिखा,
तो महसूस हुआ कि मेरा मासूम मन कितना नादान था!
बहुत बूझा परंतु इसका उत्तर ना सूझा,
क्यों दिल इस सत्य से अनजान था!
दिल सत्य से अनजान था,
या वक्त ही बहुत बेईमान था!
या उस धुंधलके से उठा प्रश्न ही,
कुछ सारवान था!
जिंदगी की तन्हाई में, मैं फिर उलझ गयी
फिर उसके साथ ही कुछ पल बिताना चाहा
जो शायद कुछ ही पलों का मेहमान था!
अजीब पसोपेश में आ गई जिंदगी,
जब देखा लोगों को जाकर करीब से,
हर शख्स अपने ही आप से परेशान था!
दौड़ती सी भागती सी जिंदगी में
कब कौन आगे और कब कौन पीछे
जान कि वक्त ही सबसे ज्यादा गतिमान था!
चाहा बदलना अपने आपको बहुत
मगर हो नहीं पाया बेईमान मन
क्योंकि, आत्मा अमर और शरीर नाशवान था!
या तो वक्त की ताल से ताल मिला लो
या सच्चाई का दर्द सीने से लगालो
यही उन बीते हुए पलों का पैगाम था
जो निधि अबतक मेरे लिए अनजान था !

****

जीवन - एक अभिलाषा

डॉ. सुजाता उपाध्याय
सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय

जीवन एक अनोखी अनकही अभिलाषा है,
जिसे आज शब्दों में बांधने की अभिलाषा है।
आदि से अंत तो जोड़ती वह अंतहीन गाथा है जीवन,
स्वयं में परिणित, अद्वितीय, अतुलनीय है जीवन।
आशा रूपी ज्योतिर्मयी स्रोत से अलंकृत नव ज्योति है जीवन,
कठिन परीक्षा एवं संघर्ष का अद्‌भुत समावेश है जीवन।
डूबता सूरज भी कह जाता है कल फिर एक नई सुबह आएगी,
अपने साथ नई उमंग, नए तरंग और नई चेतना लाएगी।
अनुभव, आधार, सम्मान, अहिंसा का अनुपम प्रतिरूप है जीवन,
सफलता, आनंद, वैराग्य, शांति का भी दूसरा रूप है जीवन।
आवश्यकता है तो केवल वास्तविकता को समझने की एवं
समय का मूल्य जानने की,
और इस अनमोल जीवन को सुसज्जित कर सार्थक बनाने की।

****

धरोहर :-

कामायनी

द्वितीय सर्ग – आशा

जयशंकर प्रसाद

ऊषा सुनहले तीर बरसती
जयलक्ष्मी–सी उदित हुई,
उधर पराजित काल रात्रि भी
जल में अतंर्निहित हुई।
वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का
आज लगा हँसने फिर से,
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में
शरद–विकास नये सिर से।
नव कोमल आलोक बिखरता
हिम–संसृति पर भर अनुराग,
सित सरोज पर क्रीड़ा करता
जैसे मधुमय पिंग पराग।
धीरे–धीरे हिम–आच्छादन
हटने लगा धरातल से,
जगीं वनस्पतियाँ अलसाई
मुख धोती शीतल जल से।
नेत्र निमीलन करती मानो
प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने,
जलधि लहरियों की अँगड़ाई
बार–बार जाती सोने।
सिंधुसेज पर धरा वधू अब
तनिक संकुचित बैठी–सी,
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में
मान किये सी ऐठीं–सी।
देखा मनु ने वह अतिरंजित
विजन का नव एकांत,
जैसे कोलाहल सोया हो
हिम–शीतल–जड़तता–सा श्रांत।
इंद्रनीलमणि महा चषक था
सोम–रहित उलटा लटका,
आज पवन मृदु साँस ले रहा
जैसे बीत गया खटका।

वह विराट था हेम घोलता
नया रंग भरने को आज,
श्कौनश्? हुआ यह प्रश्न अचानक
और कुतूहल का था राज!
'विश्वदेव, सविता या पूषा,
सोम, मरूत, चंचल पवमान,
वरूण आदि सब घूम रहे हैं
किसके शासन में अम्लान?
किसका था भू–भंग प्रलय–सा
जिसमें ये सब विकल रहे,
अरे प्रकृति के शक्ति–चिह्न
ये फिर भी कितने निबल रहे!
विकल हुआ सा काँप रहा था,
सकल भूत चेतन समुदाय,
उनकी कैसी बुरी दशा थी
वे थे विवश और निरुपाय।
देव न थे हम और न ये हैं,
सब परिवर्तन के पुतले,
हाँ कि गर्व–रथ में तुरंग–सा,
जितना जो चाहे जुत ले।'
'महानील इस परम व्योम में,
अतंरिक्ष में ज्योतिर्मान,
ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कण
किसका करते से–संधान!
छिप जाते हैं और निकलते
आकर्षण में खिंचे हुए?
तृण, वीरुध लहलहे हो रहे
किसके रस से सिंचे हुए?
सिर नीचा कर किसकी सत्ता
सब करते स्वीकार यहाँ,
सदा मौन हो प्रवचन करते
जिसका, वह अस्तित्व कहाँ?

हे अनंत रमणीय कौन तुम?
यह मैं कैसे कह सकता,
कैसे हो? क्या हो? इसका तो–
भार विचार न सह सकता।
हे विराट! हे विश्वदेव !
तुम कुछ हो,ऐसा होता भान–
मंद्–गंभीर–धीर–स्वर–संयुत
यही कर रहा सागर गान।'
'यह क्या मधुर स्वप्न–सी झिलमिल
सदय हृदय में अधिक अधीर,
व्याकुलता सी व्यक्त हो रही
आशा बनकर प्राण समीर।
यह कितनी स्पृहणीय बन गई
मधुर जागरण सी–छबिमान,
स्मिति की लहरों–सी उठती है
नाच रही ज्यों मधुमय तान।
जीवन–जीवन की पुकार है
खेल रहा है शीतल–दाह–
किसके चरणों में नत होता
नव–प्रभात का शुभ उत्साह।
मैं हूँ, यह वरदान सदृश क्यों
लगा गूँजने कानों में!
मैं भी कहने लगा, श्मैं रहूँश
शाश्वत नभ के गानों में।
यह संकेत कर रही सत्ता
किसकी सरल विकास–मयी,
जीवन की लालसा आज
क्यों इतनी प्रखर विलास–मयी?
तो फिर क्या मैं जिऊँ
और भी–जीकर क्या करना होगा?
देव बता दो, अमर–वेदना
लेकर कब मरना होगा?'
एक यवनिका हटी,
पवन से प्रेरित मायापट जैसी।
और आवरण–मुक्त प्रकृति थी
हरी–भरी फिर भी वैसी।
स्वर्ण शालियों की कलमें थीं
दूर–दूर तक फैल रहीं,
शरद–इंदिरा की मंदिर की
मानो कोई गैल रही।
विश्व–कल्पना–सा ऊँचा वह
सुख–शीतल–संतोष–निदान,
और डूबती–सी अचला का
अवलंबन, मणि–रत्न–निधान।
अचल हिमालय का शोभनतम
लता–कलित शुचि सानु–शरीर,
निद्रा में सुख–स्वप्न देखता
जैसे पुलकित हुआ अधीर।
उमड़ रही जिसके चरणों में
नीरवता की विमल विभूति,
शीतल झरनों की धारायें
बिखरातीं जीवन–अनुभूति!
उस असीम नीले अंचल में
देख किसी की मृदु मुसक्यान,
मानों हँसी हिमालय की है
फूट चली करती कल गान।
शिला–संधियों में टकरा कर
पवन भर रहा था गुंजार,
उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का
करता चारण–सदृश प्रचार।
संध्या–घनमाला की सुंदर
ओढ़े रंग–बिरंगी छींट,
गगन–चुंबिनी शैल–श्रेणियाँ
पहने हुए तुषार–किरीट।
विश्व–मौन, गौरव, महत्त्व की
प्रतिनिधियों से भरी विभा,
इस अनंत प्रांगण में मानो
जोड़ रही है मौन सभा।
वह अनंत नीलिमा व्योम की
जड़ता–सी जो शांत रही,
दूर–दूर ऊँचे से ऊँचे
निज अभाव में भ्रांत रही।
उसे दिखाती जगती का सुख,
हँसी और उल्लास अजान,

मानो तुंग–तुरंग विश्व की।
हिमगिरि की वह सुढर उठान
थी अंनत की गोद सदृश जो
विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय,
उसमें मनु ने स्थान बनाया
सुंदर, स्वच्छ और वरणीय।
पहला संचित अग्नि जल रहा
पास मलिन–द्युति रवि–कर से,
शक्ति और जागरण–चिन्ह–सा
लगा धधकने अब फिर से।
जलने लगा निंरतर उनका
अग्निहोत्र सागर के तीर,
मनु ने तप में जीवन अपना
किया समर्पण होकर धीर।
सजग हुई फिर से सुर–संकृति
देव–यजन की वर माया,
उन पर लगी डालने अपनी
कर्ममयी शीतल छाया।
उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है
क्षितिज बीच अरुणोदय कांत,
लगे देखने लुब्ध नयन से
प्रकृति–विभूति मनोहर, शांत।
पाकयज्ञ करना निश्चित कर
लगे शालियों को चुनने,
उधर वह्नि–ज्वाला भी अपना
लगी धूम–पट थी बुनने।
शुष्क डालियों से वृक्षों की
अग्नि–अर्चिया हुई समिद्ध।
आहुति के नव धूमगंध से
नभ–कानन हो गया समृद्ध।
और सोचकर अपने मन में
'जैसे हम हैं बचे हुए–
क्या आश्चर्य और कोई हो
जीवन–लीला रचे हुए,'
अग्निहोत्र–अवशिष्ट अन्न कुछ
कहीं दूर रख आते थे,
होगा इससे तृप्त अपरिचित
समझ सहज सुख पाते थे।
दुख का गहन पाठ पढ़कर
अब सहानुभूति समझते थे,
नीरवता की गहराई में
मग्न अकेले रहते थे।
मनन किया करते वे बैठे
ज्वलित अग्नि के पास वहाँ,
एक सजीव, तपस्या जैसे
पतझड़ में कर वास रहा।
फिर भी धड़कन कभी हृदय में
होती चिंता कभी नवीन,
यों ही लगा बीतने उनका
जीवन अस्थिर दिन–दिन दीन।
प्रश्न उपस्थित नित्य नये थे
अंधकार की माया में,
रंग बदलते जो पल–पल में
उस विराट की छाया में।
अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते
प्रकृति सकर्मक रही समस्त,
निज अस्तित्व बना रखने में
जीवन हुआ था व्यस्त।
तप में निरत हुए मनु,
नियमित–कर्म लगे अपना करने,
विश्वरंग में कर्मजाल के
सूत्र लगे घन हो घिरने।
उस एकांत नियति–शासन में
चले विवश धीरे–धीरे,
एक शांत स्पंदन लहरों का
होता ज्यों सागर–तीरे।
विजन जगत की तंद्रा में
तब चलता था सूना सपना,
ग्रह–पथ के आलोक–वृत से
काल जाल तनता अपना।
प्रहर, दिवस, रजनी आती थी
चल–जाती संदेश–विहीन,
एक विरागपूर्ण संसृति में
ज्यों निष्फल आंरभ नवीन।

धवल,मनोहर चंद्रबिंब से अंकित
सुंदर स्वच्छ निशीथ,
जिसमें शीतल पावन गा रहा
पुलकित हो पावन उद्‌गगीथ।
नीचे दूर–दूर विस्तृत था
उर्मिल सागर व्यथित, अधीर
अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा
चंद्रिका–निधि गंभीर।
खुलीं उस रमणीय दृश्य में
अलस चेतना की आँखे,
हृदय–कुसुम की खिलीं अचानक
मधु से वे भीगी पाँखे।
व्यक्त नील में चल प्रकाश का
कंपन सुख बन बजता था,
एक अतींद्रिय स्वप्न–लोक का
मधुर रहस्य उलझता था।
नव हो जगी अनादि वासना
मधुर प्राकृतिक भूख–समान,
चिर–परिचित–सा चाह रहा था
द्वंद्व सुखद करके अनुमान।
दिवा–रात्रि या–मित्र वरूण की
बाला का अक्षय श्रृंगार,
मिलन लगा हँसने जीवन के
उर्मिल सागर के उस पार।
तप से संयम का संचित बल,
तृषित और व्याकुल था आज–
अट्टाहास कर उठा रिक्त का
वह अधीर–तम–सूना राज।
धीर–समीर–परस से पुलकित
विकल हो चला श्रांत–शरीर,
आशा की उलझी अलकों से
उठी लहर मधुगंध अधीर।
मनु का मन था विकल हो उठा
संवेदन से खाकर चोट,
संवेदन जीवन जगती को
जो कटुता से देता घोंट।
'आह कल्पना का सुंदर
यह जगत मधुर कितना होता
सुख–स्वप्नों का दल छाया में
पुलकित हो जगता–सोता।
संवेदन का और हृदय का
यह संघर्ष न हो सकता,
फिर अभाव असफलताओं की
गाथा कौन कहाँ बकता?
कब तक और अकेले?
कह दो हे मेरे जीवन बोलो?
किसे सुनाऊँ कथा–कहो मत,
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो।
ष्तम के सुंदरतम रहस्य,
हे कांति–किरण–रंजित तारा
व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु,
भरे नव रस सारा।
आतप–तपित जीवन–सुख की
शांतिमयी छाया के देश,
हे अनंत की गणना
देते तुम कितना मधुमय संदेश।
आह शून्यते चुप होने में
तू क्यों इतनी चतुर हुई?
इंद्रजाल–जननी रजनी तू क्यों
अब इतनी मधुर हुई?'
'जब कामना सिंधु तट आई
ले संध्या का तारा दीप,
फाड़ सुनहली साड़ी उसकी
तू हँसती क्यों अरी प्रतीप?
इस अनंत काले शासन का
वह जब उच्छंखल इतिहास,
आँसू औरश तम घोल लिख रही तू
सहसा करती मृदु हास।
विश्व कमल की मृदुल मधुकरी
रजनी तू किस कोने से–
आती चूम–चूम चल जाती
पढ़ी हुई किस टोने से।
किस दिंगत रेखा में इतनी
संचित कर सिसकी–सी साँस,

यों समीर मिस हाँफ रही–सी
चली जा रही किसके पास।
विकल खिलखिलाती है क्यों तू?
इतनी हँसी न व्यर्थ बिखेर,
तुहिन कणों, फेनिल लहरों में,
मच जावेगी फिर अधेर।
घूँघट उठा देख मुस्कयाती
किसे ठिठकती–सी आती,
विजन गगन में किस भूल सी
किसको स्मृति–पथ में लाती।
रजत–कुसुम के नव पराग–सी
उडा न दे तू इतनी धूल–
इस ज्योत्सना की, अरी बावली
तू इसमें जावेगी भूल।
पगली हाँ सम्हाल ले,
कैसे छूट पडा तेरा अँचल?
देख, बिखरती है मणिराजी–
अरी उठा बेसुध चंचल।
फटा हुआ था नील वसन क्या
ओ यौवन की मतवाली।
देख अकिंचन जगत लूटता
तेरी छवि भोली भाली
ऐसे अतुल अंनत विभव में
जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग?
या भूली–सी खोज रही कुछ
जीवन की छाती के दाग'
'मैं भी भूल गया हूँ कुछ,
हाँ स्मरण नहीं होता, क्या था?
प्रेम, वेदना, भ्रांति या कि क्या?
मन जिसमें सुख सोता था
मिले कहीं वह पडा अचानक
उसको भी न लुटा देना
देख तुझे भी दूँगा तेरा भाग,
न उसे भुला देना'

****

प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवत्ति के परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता हैं । आदि से अंत तक यही चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही "साहित्य का इतिहास कहलाता है।

–आचार्य राम चंद्र शुक्ल

धरोहर के वाहक: हमारे संग्रहालय

प्रो. अम्बिका ढाका
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास)
सिक्किम विश्विद्यालय , गंगटोक

संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जो मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के साथ–साथ उनके संग्रह, शोध, प्रचार और प्रदर्शन का कार्य भी करती है। इससे शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन को प्रोत्साहन मिलता है। संग्रहालय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालयों में रखी गई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित करती हैं। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और उस संस्था को स्मरण करने का अवसर भी जो मानव सभ्यता के उद्भव और विकास की कहानी को अक्षुण बनाये रखने में निरंतर गतिशील हैं। इंटरनेशनल कौंसिल फॉर म्युजियम्स द्वारा 1977 से प्रति वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय समुदाय को एक मंच पर लाने का साझा प्रयास है जिसका मूल उद्देश्य और विश्वास है कि संग्रहालय संस्कृति के आदान प्रदान, संस्कृति के संवर्धन, लोगों के मध्य आपसी समझ, सहयोग और शांति बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्ष 2023 की इंटरनेशनल म्युजियम्स दिवस की थीम ' संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण' रही। भारत के प्रधानमंत्री ने 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया जोकि आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (आईएमडी) के अवसर पर आयोजित कर मनाया गया। यह विषय भारत सरकार की प्राथमिकताओं में भी है, तभी संग्रहालय एक्सपो को संग्रहालय पेशेवरों के साथ संग्रहालयों पर एक समग्र बातचीत शुरू करने के लिए आयोजित किया गया, जिससे वे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हो सकें।

संग्रहालय के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का 'म्यूजियम' शब्द मूलतः लैटिन भाषा का है, जो यूनानी 'म्यूजिओन' शब्द से लिया गया जो यूनानी देवी म्यूजेस को समर्पित एक मंदिर था। संग्रहालय की अवधारणा ने अपने अर्थ, रूप और स्वरुप में कालांतर में अनेक परिवर्तन कियेहैं। यह एक ज्ञान का केंद्र है, जहाँ मानव समस्त चिंताओं से मुक्त होकर आनंदपूर्वक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। संग्रहालय एक सुनियोजित विचारगत निर्मित सामाजिक संस्था है जहाँ ना पाठ्यक्रम है ,ना पुस्तकें हैं, ना समय–चक्र है, ना कक्षा है , ना परीक्षा है, ना अध्यापक हैं,यहाँ मानव अपनी रूचि से खेल–खेल में सीखता है और आनंदित होता है , यही संग्रहालय के सही मायने हैं। ये संग्रह, शिक्षा के साथ–साथ मनोरंजन के उद्देश्यों को भी पूर्ण करते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संग्रहालयों के उद्भव पर प्रकाश डालने पर कोई निश्चित कालावधि प्राप्त नहीं होती

है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महलों अथवा कक्षों में पूर्वजों व देवताओं की मूर्तियां या चित्र संगृहीत करने की चर्चा मिलती है जिसके लिए 'चित्रशाला' शब्द प्रयुक्त किया गया है। भवभूति ने वीथी (गैलेरी) का उल्लेख किया है। संग्रहालय (चित्रशाला) के निर्माण की विधि नारद शिल्प में दी गई है। संग्रहालय रूपी संस्था ने एक लम्बी यात्रा तय की हैऔर कलकत्ता में 1876 में इंडियन म्यूजियम की नए भवन में स्थापना के साथ भारत को पहला संग्रहालय मिला। संग्रहालयों का विकास क्रमशः उन्नीसवीं शती के अंत तथा बीसवीं शती के 3–4 दशकों में बड़ी द्रुत गति से हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान में संग्रहालय को राज्यों की विषय सूची में रखा गया जिससे प्रांतीय सरकारें बिना हस्तक्षेप के इन्हें अपनी क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार विकसित कर सकें। संग्रहालयों की महत्ता को रेखांकित करते हुए इंटरनेशनल कौंसिल फॉर म्यूजियम (ICOM) की 1946 में स्थापना की गई जिससे इस क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को वैश्विक स्तर पर एक साझा मंच मिल सके।

भारत में संग्रहालयों के इतिहास पर प्रकाश डालें तो 21वीं सदी में अनेक संग्रहालय स्थापित किये गए। भारत में संग्रहालयों के अनेक प्रकार हैं जैसे कला संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, नृशास्त्रीय संग्रहालय, बाल संग्रहालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी संग्रहालयय निश्चित उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रांतीय संग्रहालय, स्कूल कॉलेज व विश्विद्यालय के संग्रहालय, व्यवस्था संबंधी राजकीय संग्रहालय, नगरपालिकाओं व सोसाइटी के संग्रहालय आदि। वर्तमान में अनेक नवाचार के साथ संग्रहालय बनाये जा रहे हैं। जिनमें वर्चुअल संग्रहालय व्यक्ति को विशिष्ट अनुभूति देने का प्रयास करते हैं तथा रूचि पैदा करने के साथ–साथ शिक्षित भी करते हैं। वर्तमान भारत में सभी प्रकार के संग्रहालयों की गणना की जाये तो स्थिति निराशाजनक ही है। जहाँ अमेरिका में करीब 35,000 संग्रहालय हैं, वहीं यह आंकड़ा भारत के संग्रहालयों की संख्या का दस गुना ज्यादा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी धरोहर के संरक्षण में सफल प्रयास कर रहे हैं ?

संग्रहालयों का फलक अत्यंत विशाल है, वे अध्ययन का माध्यम हैं। इसलिए उनके उद्देश्य रूचिकर, सकारात्मक व नवाचार लिये हुए होने जरूरी हैं, तभी लोगों को आकर्षित करने में सफलता मिल सकेगी। यह समझना भी आवश्यक है कि संग्रहालय रूपी संस्था का अस्तित्व समाज में है और समाज में परिवर्तन के साथ संग्रहालयों को भी बदलना होगा तभी वे अपने अस्तित्व के सही अर्थ को सार्थक कर पाएंगे। संग्रहालय समाज और संस्कृति के वाहक हैं तथा हमारी संस्कृति में स्वामित्व का भाव बहुत प्रगाढ़ है। अतः जब हम समाज को संग्रहालयों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे तो अपनत्व का भाव पनपेगा तथा इस प्रकार संग्रहालयों तथा इनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। यह कार्य सरल नहीं है किन्तु असंभव भी नहीं है। मस्तिष्क के विउपनिवेशिकरण से स्वतन्त्र विचारों को विकसित किया जा सकता है और तभी संग्रहालयों को नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप आकार प्रकार देकर स्थापित किया जा सकेगा।

इस तथ्य में कोई दोराय नहीं कि संग्राहलय एक सामाजिक संस्था है। यह मात्र दुर्लभ वस्तुओं और पुरातन सामग्रियों का भंडार गृह नहीं है। अपितु हमारी चेतना को स्पर्श कर झंकारित करने वाला विषय है जोकि ज्ञान–केंद्र, वैचारिक पृष्ठभूमि तथा नवीन रुचियों के केंद्र के रूप में ज्ञातव्य है। संग्रहालय लोकतंत्र की सफलता का आधार भी है जिसका बहुआयामी व्यापक ज्ञान लोकतंत्र को सुरक्षित रखता है। यह संस्था अतीत और वर्तमान में अद्‌भुत समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। जब वर्तमान युग में हमारे पुरखों की धरोहर संकटग्रस्त होती जा रही है तब संग्रहालयों की भूमिका और कई गुना बढ़ जाती है।

भारतीय इतिहास का मूलाधार सांस्कृतिक चेतना का जीवटपन ही है जिसने इसे कालजयी बनाया है। संस्कृति व उसके अवयवों का संरक्षण और परिरक्षण करने का दायित्व संग्रहालयों पर होने से इनकी दोहरी भूमिका बंध जाती है। संग्रहालयों में प्रदर्शित सामग्रियां, वेशभूषा, हस्तकौशल, लोक कलाएं, पांडुलिपियां, छायाचित्र, रेखाचित्र, पुरासामग्री आदि दर्शक के साथ एक ताना–बाना बुनने का कार्य करती है और भारत के गौरवशाली अतीत से उसका प्रत्यक्ष परिचय कराती है।

जनसम्पर्क संग्रहालय का अभिन्न अंग है। इसे सशक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही नई पीढ़ी द्वारा पढ़े जा रहे पाठ्यक्रमों में संग्रहालय विज्ञान को उचित स्थान मिले, इसकी भी आवश्यकता है। संग्रहालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग प्रशिक्षण है जिसकी जिम्मेदारी भी उच्च शिक्षण संस्थानों की है। इन उपायों से भावी पीढ़ी को धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकेगा। संग्रहालयों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब समुदाय की भूमिका को इसके केन्द्र में स्थापित किया जायेगा।

****

साभार : कोलकाता संग्रहालय

महिला अधिकार : महिला सशक्तिकरण

डॉ निधि सक्सेना एवं डॉ वीर मयंक
विधि विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय

परिचयः

महिलाओं के अधिकार

(क) गरिमा और शालीनता का अधिकारः
(ख) समान वेतन का अधिकारः
(ग) कार्यस्थल पर अधिकारः
(घ) निजी रक्षाध्आत्मरक्षा का अधिकारः
(ड़) गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान सुरक्षाः
(त) निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकारः
(थ) घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकारः
(द) दहेज के विरुद्ध अधिकारः
(ध) भरण–पोषण का अधिकारः
निष्कर्ष :

परिचय :

लोक सभा में हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक,128 लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनावी प्रतिनिधि निकायों में सीटों के 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है। विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना है कि वे देश की वृद्धि और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं विधि की अभिकल्पना करने में भी भाग लें सकें। जैसा कि विधेयक के श्उद्देश्यों और कारणों के विवरणश में कहा गया है, विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है ताकि वे विधायी बहस में लाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों से लाभान्वित हो सकें और न्यायसंगत निर्णय लेने में सहायता कर सकें। समाज के सभी वर्गों के लिए विधि का प्रवर्तन करना, जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ–साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। विधेयक के पारित होने की इस महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में इस लघु रचना का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों की वर्तमान स्थिति की रूपरेखा तैयार करना है।

महिलाओं के अधिकार

10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जन्म के क्षण से प्रत्येक व्यक्ति की जन्मजात स्वतंत्रता और समान मूल्य पर जोर देती है। इसी तरह, भारतीय संविधान लिंग की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है। इनमें अनुच्छेद 14 में निहित समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में व्यक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से बहुत सारे कानून हैं। ये

विविध कानून महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं। कानूनी ढांचे के मूल में भारत का संविधान है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्नति के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), और साक्ष्य अधिनियम कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। (ज्ञातव्यः हो कि ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने के उद्देश्य से लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए गए हैं।) विशेष कानून, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956), दहेज निषेध अधिनियम (1961), महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम (1986), महिलाओं का यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013), और हिंदू विवाह अधिनियम (1955), किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूद हैं। यह सभी कानून महिलाओं को प्रदान विभिन्न अधिकारों की रक्षा करतें हैं।

कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं जबकि कुछ विशेष रूप से महिलाओं को उपलब्ध हैं यह लेख भारतीय महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है। अतः इसमें इन अधिकारों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है क्योंकि इन्हें भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत गारंटी दी गई है।

(क) गरिमा और शालीनता का अधिकारः

भारत में महिलाओं को संवैधानिक रूप से भय, दबाव, हिंसा और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। डर पैदा करने या उनकी विनम्रता का उल्लंघन करने के लिए किया गया कोई भी कार्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी नतीजों के अधीन है।

इन धाराओं में कई प्रकार के अपराध शामिल हैंः धारा 354ए यौन उत्पीड़न के कृत्यों को संबोधित करती है, धारा 354बी किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से किए गए हमलों से संबंधित है, धारा 354 ऐसे कार्यों से संबंधित है जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, धारा 354सी ताक–झांक के कृत्यों को दंडित करती है, और धारा 354डी पीछा करने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। ये कानूनी प्रावधान देश भर में महिलाओं की गरिमा और शालीनता की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में काम करते हैं।

(ख) समान वेतन का अधिकारः

भारत में लिंग–तटस्थ कानून यह गारंटी देते हैं कि लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो इस सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाये। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार, यह एक कानूनी

ढांचा स्थापित करता है जो भारतीय कार्यबल में वेतन समानता को कायम रखता है।

(ग) कार्यस्थल पर अधिकारः

भारत में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, जैसे महिलाओं के लिए अलग शौचालय, आरामदायक और स्वच्छ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना वगैरह सम्मिलित हैं। 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में, काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन के महत्व को पहचानते हुए, संगठनों को बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने ऐतिहासिक 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' मामले में स्थापित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का 'यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' इन सुरक्षाओं को लागू करने, कार्यस्थल उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने के लिए तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उपाय सामूहिक रूप से भारत में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।

(घ) निजी रक्षाध्आत्मरक्षा का अधिकारः

भारत में महिलाओं को खतरे के समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा करने का अंतर्निहित अधिकार है। यह अधिकार उन्हें अपने शरीर या दूसरों के शरीर को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित बल का उपयोग करने की अनुमति देता है। कुछ गंभीर स्थितियों में, घातक बल का उपयोग भी उचित है, खासकर जब जीवन के लिए तत्काल और आसन्न खतरा हो, गंभीर चोट का खतरा हो, या बलात्कार, अपहरण, या एसिड हमलों जैसे अपराधों की संभावना हो। यह कानूनी प्रावधान महिलाओं को जीवन–घातक स्थितियों का सामना करने पर अपनी और अपने आस–पास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

(ड़) गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान सुरक्षाः

ऐसे मामलों में जहां किसी महिला पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, उसके अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए विशिष्ट कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। शालीनता और सम्मान बनाए रखने के कड़ाई से पालन के साथ गिरफ्तारी और तलाशी प्रक्रिया एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

बलात्कार के मामलों में, जब भी संभव हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण में एक महिला पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अनुमति न दी गई हो, महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले निषिद्ध है । ये कानूनी प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं कि कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान, विशेष रूप से गिरफ्तारी और तलाशी प्रक्रियाओं के दौरान महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को संरक्षित किया जाये।

(त) निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकारः

जिन महिलाओं ने दुर्व्यवहार और हिंसा का अनुभव किया है, वे मुफ्त कानूनी सेवाओं तक पहुंचने की हकदार हैं, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये कानूनी सेवाएं विभिन्न स्तरों पर फैली हुई हैं, जिनमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर शामिल हैं। उनकी मुख्य भूमिका में कानूनी कार्यवाही में अमूल्य सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा पाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन मिले।

(थ) घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकारः

घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रत्येक महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार देता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। ऐसे दुर्व्यवहार के मामलों में, महिलाओं के पास उपचार ढूंढने के कई रास्ते होते हैं। वे पुलिस में शिकायत दर्ज करके, महिला हेल्पलाइन से संपर्क करके या महिला सेल से संपर्क करके प्रक्रिया शुरू कर सकतीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पुलिस कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थितियों में जहां पुलिस उचित कार्रवाई करने में विफल रहती है, महिलाएं कानून के तहत निवारण और सुरक्षा पाने के लिए सीधे मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का विकल्प रखती हैं। ये कानूनी प्रावधान महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि उनके पास मदद और न्याय पाने के लिए सुलभ रास्ते हों।

(द) दहेज के विरुद्ध अधिकारः

1961 का दहेज निषेध अधिनियम विवाह से पहले और बाद में दहेज देने या लेने की प्रथा के खिलाफ कानूनी निवारक के रूप में कार्य करता है। इस कानून के तहत, ऐसी प्रथाओं को आपराधिक माना जाता है, और दोषी पाए जाने वालों को कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम स्पष्ट रूप से दहेज को विवाह में शामिल पक्षों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदान–प्रदान की गई किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानून मेहर या महर को कवर नहीं करता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) द्वारा शासित होते हैं। दहेज निषेध अधिनियम दहेज से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने, हतोत्साहित करने और निष्पक्ष और न्यायसंगत विवाह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ध) भरण–पोषण का अधिकारः

भरण–पोषण के अधिकार में भोजन, आश्रय, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक जरूरतें शामिल हैं। विवाह विच्छेद के बाद भी, एक विवाहित महिला पुनर्विवाह होने तक अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है। यह कानूनी दायित्व 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973)' की धारा 125 में उल्लिखित है, जो यह कहता है कि एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण–पोषण

प्रदान करना होगा। हालाँकि, कुछ अपवाद लागू होते हैं, जिनमें व्यभिचार, उचित कारण के बिना साथ रहने से इनकार, या अलग होने के लिए आपसी सहमति से जुड़े मामले शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकार सभी भारतीय महिलाओं तक फैला हुआ है, चाहे उनकी जाति या धर्म कोई भी हो, यह सुनिश्चित करता है कि विवाह विच्छेदध्तलाक के बाद उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त हो।

निष्कर्ष :

लैंगिक समानता एक ऐसे समाज को दर्शाती है जहां महिला और पुरुष दोनों जीवन के हर पहलू में समान अवसर, अधिकार और जिम्मेदारियों का आनंद लेते हैं। इसमें निर्णय लेने में समान भागीदारी, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता, शिक्षा तक निर्बाध पहुंच और अपने चुने हुए करियर को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता शामिल है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो, देश की प्रगति और मानवाधिकारों की सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में, कानून महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इन अधिकारों का ज्ञान महिलाओं को अन्याय का मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाता है, चाहे यह उनके घरों, कार्यस्थलों या बड़े पैमाने पर समाज में हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है, तो वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है।

****

"सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपी आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है"

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

नरेश सक्सेना और मनप्रसाद सुब्बा की कविताओं में प्रकृति चेतना

सुश्री सबनम भुजेल
पीएचडी शोधार्थी, हिंदी विभाग

समकालीन हिंदी एवं भारतीय नेपाली कविता के जाने माने हस्ताक्षरों में कवि नरेश सक्सेना और मनप्रसाद सुब्बा का विशेष स्थान रहा हैं। कविता के क्षेत्र में एवं कविता को नई मुक्ति दिलाने हेतु दोनों कवियों की रचनाएँ नए धरातल कायम करती हैं। नरेश सक्सेना एवं मनप्रसाद सुब्बा की कविताएँ प्रकृति के प्रति प्रगतिशील बोध को लिए हुए आगे आती हैं। दोनों कवियों ने विज्ञान और तकनीकी का ऐसा प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है जिससे कविता में नयापन दिखाई देती हैं। समकालीन कवि के संदर्भ में वैभव सिंह लिखते हैं, "प्रकृति से अलगाव का दर्द उनकी कविताओं में जिस तरह उभरा है, वह प्रकृति पर लिखी गई दूसरी ढेरों कविताओं की तुलना में अधिक प्रामाणिक और सच्चा प्रतीत होता है।" (सिंह, 2014)

नरेश सक्सेना और मनप्रसाद सुब्बा ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के हृदय में प्रकृति चेतना जगाने की कोशिश की है लेकिन प्रकृति की पीड़ा केवल प्रकृति ही जान सकती है। जब यह पृथ्वी पीड़ा में होती है तो उसकी पीड़ा कवि को सुनाई पड़ती है और कवि अपनी कविताओं में उसे दर्ज करने की कोशिश करते हैं उसी तरह जिस तरह समकालीन नेपाली कवि मनप्रसाद सुब्बा ने अपनी कविता 'धरती–1' में किया है। वे लिखते हैं, "धरतीले धेरै दुःख भोग्नुपरेको छ/ बिचरा ती हिंड्ने पहाडहरू/ जसको कुनै खास नामै छैन/ क्षितिजसम्म फैलिंदै गएको मधेश–फाँटभन्दा बढी/ दिनभरिको मजदूरीपछि पाएको/ सुक्खा रोटीको फैलावटमा/ यो धरती एकोहोरो घुमिरहेको हुन्छ/ गाडीको चक्काहरूले फन्फनी लपेट्दै/ धरतीलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, थाह छैन" (सुब्बा, 2013) धरतीच जिस तरह से पीड़ित है उससे सचमें पूरी पृथ्वी शोक से गुजरती है और मनुष्य जो धरती को महज एक स्वार्थ की वस्तु मानता है उसको यह समझना चाहिए "जिसकी नहीं कोई जमीन/ उसका नहीं कोई आसमान" (सक्सेना, सुनो चारुशिला, 2013) ये काव्य पंक्तियाँ कवि नरेश सक्सेना की हैं जिन्होंने प्रकृति चिंता के साथ–साथ भविष्य संकट की ओर इशारा भी किया हैं।

कवि नरेश सक्सेना और मनप्रसाद सुब्बा ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के माध्यम से जीवन मूल्य और मानवीय संवेदना को दर्शाने का प्रयास भी किया हैं। उनके यहाँ प्रकृति अनगिनत प्रश्नों के साथ पेश होती हैं साथ ही प्रकृति के प्रति मानवीय हस्ताक्षर का लेखा–जोखा भी प्रस्तुत करते हैं। यूं तो पृथ्वी का हर एक प्राणी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य, जीव–जन्तु, कीड़े–मकोड़े सभी प्रकृति पर ही निर्भर हैं लेकिन फिर भी मनुष्य प्रकृति का दोहन करता है। नदी–नाले, पहाड़–पर्वत, पेड़–पौधे, जंगल, जीव–जन्तु आदि को नष्ट कर उसका व्यापार करते हैं। जिन वृक्ष की डालियों से घर बनाया जाता है, बच्चों का झूला तैयार किया जाता है, चिड़ियों की चहक सुनाई जाती है, आज उसे ही काटकर मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जंगलों को काटकर बड़े–बड़े कल–कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे वायु, मिट्टी एवं प्रकृति से जुड़ी सारी चीजें प्रदूषित हो रहीहैं। इसलिए कवि चिंतित है आने वाले कल को लेकर। इसलिए वे भविष्य की ओर इशारा करते हुए लिखते हैं,"नक्शे में जंगल हैं पेड़ नहीं/ नक्शे में

नदियां हैं पानी नहीं / नक्शे में पहाड़ हैं पत्थर नहीं / नक्शे में देश हैं लोग नहीं / समझ ही गए होंगे आप कि हम सब / एक ही नक्शे में रहते हैं" (सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 2001) यही भाव कवि मनप्रसाद सुब्बा भी व्यक्त करते हैं और लिखते हैं, "पानी पर्नभन्दा बेसी / पसीना झर्दैछ / पानी त पर्छ अचेल / तर प्रपोगाण्डा जस्तो / अर्थात् टि०भी० सिरियलको बीच–बीचमा विज्ञापन जस्तो" (सुब्बा, ऋतु क्यान्भसमा रेखाहरू, 2001) अर्थात बारिश में कमी हो रही है क्योंकि उससे ज्यादा तो लोगों के शरीर से पसीने गिरते हैं। यानि कि बारिश तो होती है लेकिन प्रपोगांडा की तरह अर्थात उसी तरह जिस तरह टी० भी० सिरियल के बीच–बीच में विज्ञापन आते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में 71: पानी है उसमें से 97: पानी महासागर में हैं और 3: मात्र पीने योग्य पानी है। अभी पीने योग्य पानी इसलिए कम हो रहा है क्योंकि प्रकृति पर मनुष्य ने अपना हस्तक्षेप कर लिया है। जहां से साफ पानी आती हैं उसका स्रोत भी प्रदूषित हो गई है। आज वर्तमान समय में जो कुछ प्रकृति संबंधी घटनाएँ घटित हो रही है उसका एकमात्र कारण मनुष्य का प्रकृति पर हस्तक्षेप रहा है। मनुष्य प्रकृति को एक वस्तु के रूप में देखता है। वह जब भी प्रकृति पर हमला करता है तो वह अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का घर उजाड़ता है जिसका दुष्परिणाम फिर स्वयं मनुष्य को ही उठाना पड़ता है। इसलिए तो आज मनुष्य भयानक महामारी, बाढ़, वायरस, बीमारी आदि का शिकार हो रहा है। यह प्रकृति के प्रति उसके स्वार्थ मनोवृत्ति का परिणाम है। कवि इसलिए अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति को नष्ट करने वालों का विरोध कर प्रकृति चिंतक के रूप में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रकृति चेतना से ओत–प्रोत ऐसी कई कविताएँ कवि नरेश सक्सेना के यहाँ दिखाई देती हैं। जिस तरह आज हमारे परिवेश में पेड़ काटे जा रहे है, नदियों को बिजली उत्पादन का संसाधन के रूप में मात्र इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे में एक कवि की चिंता यहाँ दिखाई दे रही हैं कि आने वाले दिनों में हम अपनी प्रकृति को खो देंगे। अपना अस्तित्त्व खो देंगे, क्योंकि हम सभी अब मशीनी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। इस तरह की व्यथा समकालीन भारतीय नेपाली कवि मनप्रसाद सुब्बा की कविता 'जङ्गलको कुरा' में आई है। वे लिखते हैं,"तिमी बोल्छौ मशिनकोभाषा / त्यसैले यो जङ्गललाई तिमी / ठीक बुझ्न सकिराखेको छैनौ / भाषा / .....रुखहरूको सासमा कसको ढुकढुकीको सुगन्ध छ" (सुब्बा, भुइँफुट्टा शब्दहरू, 2013) अर्थात विकाश के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है उसकी झलक समकालीन कविता में दिखाई देती है। अगर इसी तरह यह परिवेश रहा तो इस सृष्टि में मानव सभ्यता मिट जाएगी और जो कुछ भी बचा रहेगा उसे कवि नरेश सक्सेना कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हुए लिखते हैं, "देखना जो ऐसा ही रहा तो, एक दिन / पेड़ नहीं होंगे / घोंसले नहीं होंगे / चिड़ियाँ जरूर होंगी, लेकिन पिंजरों में / नदियाँ नहीं होंगी / ....जंगल नहीं होंगे... / बस्तियाँ नहीं होंगी / मनुष्य नहीं होंगे / सिर्फ बाजार होंगे, जहां होंगी कविताएँ / पेड़ों, नदियों, चिड़ियों, मछलियों और खरगोशों का / विज्ञापन करती हुई" (सक्सेना, सुनो चारुशिला, 2013) इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है।

निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ी समस्या केवल वर्तमान समस्या नहीं है बल्कि प्रकृति तो सदैव से मानव समुदाय से जुड़ी हुई है। यह अलगाव तो स्वयं मनुष्य ने किया है। जिसकी चेतना आज उभर कर साहित्य में आई है और साहित्य जन–जन तक प्रकृति चेतना भरने का कार्य कर रही है क्योंकि जब मनुष्य का हृदय प्रकृति के प्रति सचेतता दिखाएगी तभी वह प्रकृति विनाश को कम करने के लिए तत्पर होगा और उसके लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने हृदय को प्रकृतिमय बनाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ

सक्सेना, न. (2014). कवि ने कहा-नई दिल्लीः किताब घर प्रकाशन.
सक्सेना, न. (2001). समुद्र पर हो रही है बारिश-नई दिल्लीः राज कमल प्रकाशन.
सक्सेना, न. (2013). सुनो चारुशिला-नई दिल्लीः भारतीय ज्ञानपीठ.
सक्सेना, न. (2013). सुनो चारुशिला-नई दिल्लीः भारतीय ज्ञानपीठ.
सिंह, व. (2014). कविताओं की गुनगुनाती पतली नदी- (ड. अ. श्रीवास्तव, म्क.) रेवान्त , 73.
सुब्बा, म. (2001). ऋतु क्यान्भ समा रेखाहरू-गान्तोकः जन पक्षप्रकाशन.
सुब्बा, म. (2013). भुइँ फुट्टा शब्दहरू-काठमांडौंः साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि.
सुब्बा, म. (2013). भुइँ फुट्टा शब्दहरू-काठमांडौंः साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि.

****

श्रद्धांजलि

स्व. विश्वजीत घोष
(जन्म 23.07.1993 – मृत्यु 26.03.2024)

सिक्किम विश्वविद्यालय में निजी सहायक के पद पर कार्यरत स्व. विश्वजीत घोष का दिनांक 25 मार्च 2024 को उनके गृह नगर कोलकाता में असामयिक निधन हुआ। हम राजभाषा पत्रिका की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी विदेही आत्मा को शांति प्रदान करें।

माँ भारती के माथे की बिन्दी 'हिंदी'

कुँवर अखंड प्रताप सिंह
छात्र– हिंदी विभाग

"अपने ही दूध पूत से हारी है ये हिंदी ,
कहता है कौन है नहीं दुखियारी ये हिंदी"

हम विश्व में हिंदी की दशा पर क्या विचार करें । भारत में हिंदी की दुर्दशा पर रोना आता है। चिराग तले अंधेरा है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत हम पर बुरी तरह से हावी हो चुकी हैं। इसके लिए इतिहास में जाना आवश्यक है । मैकाले ने ठीक ही कहा था, उसका कितना दुष्ट इरादा था। जैसा कि आप जानते हैं मैकाले ने अपने प्रसिद्ध पत्र में लिखा हैं, मेरे द्वारा भारत में परिचायित इस शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव तुम पचास वर्षो के बाद देखना जबकि त्वचा और वेशभूषा से भारतीय दिखाई देने वाले भारतीय, जन आत्मा से पूर्णतः अंग्रेज हो गये रहेंगे।

उसकी भविष्य वाणी कितनी सही साबित हुई?

2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉलेय तथाकथित इतिहासकार ने भारत की भावी शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कहा था उसका एक नमूना नीचे देखिये उन्हीं के शब्दों में,

"A single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indiaand Arabia"

भारत की मातृभाषाओं को Macaulay ने dialects की संज्ञा दी।

Dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literary nor scientific information] andare so poor and rude---

अंग्रेजी ही भारत की शिक्षा का एकमात्र माध्यम होना चाहिए । इसके पक्ष में उसने यह दलील दी।

"In India- English is the language spoken by the ruling class- It is spoken by the higher class of natives---

जरा मैकॉले का साहस तो देखिये ! उसने आगे कहा, "It was the duty of England to teach Indians what was good for their health] and not what was palatable to their taste"

इस आधार पर 7 मार्च 1835 को भारत में ब्रिटिश सरकार ने निम्न प्रस्तावों पर विचार करना चाहा । उनमे से पहला प्रस्ताव इस प्रकार है :

"His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British governmentought to be the promotion of European literature and Science among the natives of India and that all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone",

लगभग बीस वर्ष बाद स्वाभिमान से ओतप्रोत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी भाषा के प्रति जो कहा, उससे

आप शायद परिचित होंगे ।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल।

हिंदी का प्रयोग कम और अनावश्यक अंग्रेजी का प्रयोग अधिक, यह सोच सभी दृष्टिकोण से हानिकारक है जो गुलामी की मानसिकता लाती है यह स्वामिनी कैसे बन सकती है, शायद आपने से कई ''फादर कामिल बुल्के'' के नाम से परिचित होंगे। वे बेल्जियम से भारत आकर मृत्युपर्यंत हिंदी, तुलसी औरवाल्मीकि के भक्त रहे। 1950 में राँची सेंट जेवीयर्स महाविद्यालय में वे हिंदी व संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने उनके ये शब्द मेरे मस्तिष्क में हमेशा गूंजते है।

संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है।
अंग्रेजी हिंदी की दासी बन सकती है. स्वामिनी नहीं।

अब भारत के इतिहास की नहीं वर्तमान भारत में हिंदी की चर्चा करेंगें।

जरा सोचिये, भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अंग्रेज तो भारत छोड़कर चल दिये, पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत यहीं छोड़ गये स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अभी तक हम गुलाम है । अंग्रेजी तो हमारे अंदर बहुत गहराई तक घुस गयी है और इसके पक्ष में कितनी ही दलीलें दी जाती हैं । अंग्रेजियत हमसे अभी भी गुलामी कराये यह कहाँ का न्याय है ? यहाँ में ही नहीं बल्कि यह बात हम सभी कहते हैं।

हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक लड़ी में पिरोने का सशक्त माध्यम है । जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसी वक्त संविधान का निर्माण किया गया और सन् 1950 में हिंदी को पूर्णतः संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया।

भारतवर्ष विविधताओं का देश है । यहाँ मौसम, जलवायु, लोगों के रहन–सहन, त्यौहार एवं खान–पान में भी विविधता है । इसी प्रकार इसमें भाषा की भी विविधता व्याप्त है, इसी कारणवश लोगों मैं यह मतभेद बना रहता है कि हिंदी को ही आखिर क्यों राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए । इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में व्याप्त है कि हिंदी के अलावा आज भी भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो सम्पूर्ण रूप से बोली समझी एवं लिखी जाती है । कई राज्यों में तो पाठ्यक्रम में बच्चों को हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । हिंदी वह भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है ।

जिस प्रकार नारी के श्रृंगार को उसके मस्तक पर शोभायमान बिन्दी सम्पूर्णता प्रदान करती है या यूं कहें किनारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है उसी प्रकार हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव है , हमारी शान हैं, यह हमारी भारतमाता के मस्तक का गौरव है, जिसे हमें सदैव मस्तक पर ही रखना चाहिए ।

राजभाषा का दर्जा मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि हम उसे सिर्फ वर्ष में आनेवाले वर्षगाँठ की तरह मनाएं जैसा कि आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में 'हिंदी पखवाड़ा दिवस' 14 से 29 सितंबर तक मनाया जा रहा है । यह हिंदी की हमारे राष्ट्र की और स्वयं हमारी पराजय है।

हिंदी भाषा को भारत के माथे की बिन्दी बनाने व उसके उत्थान एवं पल्लव के लिए कितने ही साहित्यकारों ने भरसक प्रयत्न किये, अपनी जान गंवाई, यतनएन सही, तब कहीं जाकर इसे सर्वोच्च दर्जा मिल पाया है । इतनी आसानी से सर्वोत्तम पद पर यह यूँही नहीं पहुँच गई । आज यही हिंदी भाषा अपने ही देश में अपनी पहचान पाने के लिए भटक रही है । यह स्थिति हिंदी भाषा के लिए दुर्भाग्यशाली नहीं है वरन यह हम हिंदी भाषियों का दुर्भाग्य यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हिंदी और हिन्दुत्व दोनों उन दो विशाल एवं मजबूत स्तम्भ की तरह हैं जो कि इस सम्पूर्ण राष्ट्र को थामे हुए हैं । किसी एक के कमजोर पड़ने से सम्पूर्ण राष्ट्र के अस्तित्व को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता । हिंदी के उत्कर्ष, उत्थान और प्रगति में ही देश की प्रगति है क्योंकि अगर किसी देश की भाषा का लोप हुआ तो, उस देश के नागरिक विश्व मंच पर अपनी पहचान खो देंगें । किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके लोगों से और वहाँ की भाषा से होती है । भाषा राष्ट्र का गौरव है, और इसकी गरिमा को बनाये रखने का कार्य यहाँ के जन समुदाय का है, कुछ देश तो अपने देश की भाषा से भावनात्मक रूप से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अन्य देश की कम्पनियाँ अपने यहाँ उस भाषा के जानकार को रखने को बाध्य हो जाती है, उदाहरण के लिए चीन और जापान हमें अपनी भाषा पर जो कि हमारा गौरव है, गर्व होना चाहिए । इसी क्रम में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि–

''जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है।
यह नर नहीं, नर पशुनिरा, और मृतक समान है।''

भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है और जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना जितना सरल और सुगम होता है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं । अपनी भाषा के समर्थन का अर्थ यह नहीं कि हम अन्य किसी भाषा में कोई कार्य ही न करें, "स्वामी विवेकानन्द जी" जो कि हिंदी और संस्कृत पर समान अधिकार रखते थे, उन्हें अंग्रेजी तथा विश्व की कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था विश्व की विभिन्न भाषाओं के ज्ञान से हमें उस देश के साहित्य, विज्ञान, इतिहास अर्थव्यवस्था आदि का ज्ञान होता है । यह कहना कतई गलत होगा कि किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है हम आधुनिकता के दौर में है यदि हम सिर्फ अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से हरक्षेत्र में बढ़ना चाहें तो यह बहुत मुश्किल होगा। आज चाहे क्षेत्र विज्ञान का हो या किसी और क्षेत्र का हमारे भारतवर्ष के अलावा अन्य राष्ट्रों ने भी काफी प्रगति की है उनको विकसित प्रणालियों को हम अपना रहे है और विकासशील राष्ट्रों में सम्मिलित है । हमें बाहरी राष्ट्रों से वे सभी विकसित प्रणालियों को अपने राष्ट्र हेतु सीखनी है ताकि हम भी आधुनिकता के क्षेत्र में सब के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके एवं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं । इसके लिए अन्य भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है । अतः अति आवश्यक कार्यों में हमें अन्य भाषा का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए परन्तु हर क्षण, हर पल यह सदैव याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हिंदी भाषी है यदि स्वयं हम हिंदी को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा, एक विदेशी भाषा के सम्मुख अपनी भाषा को तुच्छ समझना गलत है और यह हमारी दास मानसिकता और हीन भावना का द्योतक है, अपने राष्ट्र की भाषा हिंदी को अपनाना सम्मानजनक है न कि अपमानजनक हिंदी सिर्फ पखवाड़ों में ना मनाई जाए बल्कि जिस प्रकार श्वास लेना शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक है उसी प्रकार हिंदी का प्रयोग भी राष्ट्र रूपी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है अन्यथा जिस प्रकार बगैर श्वास शरीर संकट में होता है और समाप्त हो जाता है उसी प्रकार यदि राष्ट्र की भाषा का उचित सम्मान नहीं होता तो एक न एक दिन जरूर उसके स्वाभिमान को

कोई रौंद कर उसे अपना गुलाम बना लेता है।

हिंदी , तमिल, तेलुगु उडिया आदि अनेक भाषाएं हमारे राष्ट्र में बोली जाती हैं अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण हिंदी राजभाषा भी है । 14 सितम्बर सन् 1949 को संविधान निर्माताओं ने एक मत से हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया कि अगले पन्द्रह वर्षों तक हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में प्रयोग किया जायेगा, उसके पश्चात् हिंदी ही एक मात्र भाषा होगी, फिर 1955 व 1957 में गठित खेर आयोग और पन्त समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि जबतक इस संघ से सम्बन्धित सभी विधान मण्डल सर्वसम्मति से हिंदी को अपनाने का संकल्प पारित नहीं करते हैं तबतक अंग्रेजी को हिंदी के साथ–साथ सहभाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहेगा । स्पस्ट है कि जबतक इस संघ का एक विधानमण्डल नहीं चाहेगा तब तक हिंदी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पायेगी, इस भाषा के साथ यही सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है।

हमारे राष्ट्र में 72 प्रतिशत लोग हिंदी बोलने में और समझने में समर्थ हैं । हमारे राष्ट्र में ही नहीं अपितु 6 करोड़ विदेशी भी हिंदी समझते हैं । मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रिका, वर्मा, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, आदि देशों में भी बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं । वियतनाम व सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी भाषियों का बाहुल्य है । विदेशों में भी कई विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में हिंदी पठन–पाठन की समुचित व्यवस्था है । विदेशी भी इसे सीखने में काफी रूचि ले रहे हैं । इन कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में पूरी तरह से समर्थ है । प्रारम्भ में कोई भी भाषा पूर्ण नहीं होती है लेकिन प्रयोग करते करते ही उसमें निखार आता है, कभी इंग्लैण्ड में फ्रांसीसी का प्रभुत्व था लेकिन वहां के नागरिकों की जागरूकता और उचित निर्णयों के कारण आज अंग्रेजी वहां की मुख्यभाषा है प्रारम्भमें वहां भी तरह–तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी जैसे कि आज हिंदी के विषय में व्यक्त की जाती हैं । हमारे देश की अखण्डता हिंदी माध्यम से ही सम्पन्न हो सकती है क्योंकि कच्छ से लेकर कोहिमा व कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले प्राकृतिक औद्योगिक एवं तीर्थ स्थलों में हिंदी बोली व समझी जातीहै । हिंदी भाषी प्रान्तों से लगे प्रान्तों जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश में भी हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या बहुतायत में है, इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य जितनी खूबसूरती से हिंदी ने किया है । वह किसी और भाषा के बस की बात नहीं थी, तभी तो "विनोवाभावे" जी ने कहा कि –

'इस राष्ट्र की एकता अखण्डता हिंदी है।'

कुछ लोग हिंदी को सिर्फ हिन्दुओं की भाषा कहकर पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं, तो उनसे एक सवाल है कि क्या जायसी, कुतुबन, उस्मान जैसे सूफी कवि हिन्दू थे, क्या अब्दुल रहीम व रसखान हिन्दू थे ? इसी प्रकार यदि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विषय में तर्क करे तो लोगों का तर्क होता है कि इस भाषा में हम विधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते । यदि हम इन विषयों की शिक्षा का माध्यम हिंदी रखेंगे तो विश्वपटल में हम सबसे बहुत पीछे रह जायेंगे । अगर ऐसा होता रूस व जापान तो विश्वपटल में हम सब से बहुत पीछे रह जाते। वास्तविकता में यह उनका भ्रम मात्र है क्या रूस व जापान ने अपने अनुसंधान कार्य किसी अन्य भाषा में किये हैं ? जी नहीं उन्होंने यह सारे कार्य अपनी ही भाषा के प्रयोग से किये हैं, और आज की तारीख में कोई भी उन्हें पिछड़ा हुआ कहने की भूल नहीं कर

सकता, हमारे सोचने व कल्पना की भाषा हिंदी है और सिर्फ यही भाषा है जिसमें हमारी कल्पना सृजनात्मक रूप में आ सकती है और हिंदी को उचित स्थान दिलाने में हमारी जागरूकता व मानसिक चेतना ही सबसे अधिक सार्थक सिद्ध हो सकती है ।अतः, चाहे कुछ भी हो हमें अपनी माँ की माथे की बिन्दी को बचाना है , उसे कागज के चार पन्नों में नहीं दिल एवं दिमाग में सम्पूर्ण रूप से सम्मान देना है । अपनी आनेवाली पीढ़ी को इसके प्रति सम्मान की शिक्षा देनी है । देश के गौरव एवं मान सम्मान को पुनः महिमा मण्डित करने के लिए हमें हिंदी के उत्थान एवं विकास के लिए योगदान करना ही होगा और यह स्थिति तभी आयेगी जब हम अपने जीवन से जुड़ी हुई हिंदी को पृथक करने का प्रयास न करें तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को इस व्यापक और गौरवमयी भाषा से परिचय कराये । हम इस भारतवर्ष की कल्पना एक स्त्री रूप में करते हैं तथा उसे माँ कहकर सम्बोधित करते हैं। हिंदी का पतन करके हम इस माँ का ललाट को बिन्दु विहीन कर देंगे । यह बिन्दु जो इसके स्वरूप को सम्पूर्णता एवं व्यक्तित्व को ओजपूर्ण एवं वैभवशाली बनाता है । हमें स्वयं से एकबार फिर यह प्रश्न करना होगा कि क्या हम अपनी भारतमाता को अधूरे श्रृंगार में देख सकेंगे, क्या यह स्थिति हमें तनिक भी विचलित नहीं करेंगी । जब हम हिंदी भाषा को सम्मान देंगे तभी हम इस विश्व में दूसरों से भी हमारी हिंदी भाषा सम्मान पाएगी और तब हम फक्र से कह सकेंगे ।

जन्म जहाँ पर हमने पाया,
अन्न जहाँ का हमने खाया,
वस्त्र जहाँ के हमने पहने
इसकी रक्षा कौन करेगा
(राष्ट्र एवं राष्ट्र की भाषा हिंदी)
हम करेंगे, हम करेंगे,हम करेंगे।

और हम सभी का एक स्वप्न है कि हिंदी एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी, और हम सभी गर्व से कह सकेंगे कि –

मरीशस हो या सूरिनाम हो,
हिंदी का वह तीर्थधाम हो।
कोटि–कोटि के मन में मुखरित,
हिंदी का चहुँ ओर नाम हो।।

****

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है"
– सुमित्रा नन्दन पंत

हिंदी भाषा और अनुवाद की वर्तमान झलक

श्री नवीन कुमार यादव
हिंदी अनुवादक, सिक्किम विश्वविद्यालय

"जब तक हिंदी की धड़कन रहेगी,
तब तक हमारी संस्कृति जीवित रहेगी" –महादेवी वर्मा

हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी है। अंग्रेजी के तो अक्षर भी साइलेंट होते हैं जबकि हमारी हिदी की बिंदी भी बोलती है। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। भाषा व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी जोड़ने का काम करती है और भारत में यह सौभाग्य हिदी को प्राप्त है और आने वाले समय में भी हिदी भाषा संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारतीय संस्कृति के विकास में अपना योगदान करती रहगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने धर्म एवं संस्कृति से विलग न करें बल्कि अपने कार्य एवं व्यवहार से पूर्णत: वैज्ञानिक हमारी भारतीय संस्कृति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें ताकि हमारी पीढ़ी शिक्षा एवं कैरियर के शिखर पर पहुचंने के साथ–साथ संस्कृति एवं नैतिकता की ओर भी उन्मुख हों। तभी भारत भविष्य में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ–साथ सच्चे रूप में विश्व गरू की भूमिका निभाने में सफल हो पाएगा।

भारतीय भाषाओ में सबसे लोकप्रिय भाषा हिदी देश में 90%से अधिक लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। लगभग 44 प्रतिशत भारतवासियों की यह दुलारी–प्यारी मातृभाषा भी है। विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं मे शुमार है। इसलिए यह भारत की राजभाषा है। भारत के अलावा यह फिजी देश की आधिकारिक भाषा है। आज लगभग 90 प्रतिशत लोग हिंदी में ही सोशल मीडिया धड़ले से प्रयोग करते हैं। भारत से बाहर 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी में पठन–पाठन होती है।

संयुक्त राष्ट्र में 6 कार्यकारी भाषाओं का प्रयोग अधिकृत है। इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा को शामिल किए जाने के लिए, पूँजीगत लागत देने के अतिरिक्त कई अन्य शर्तों का पालन भी करने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो पर 10 मिनट का साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को विश्व भर में बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है।संयुक्त राष्ट्र से संबंधित समाचार विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे भी समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि हिंदी यूएन न्यूज वेबसाइट 13 लाख वार्षिक इप्रेशन के साथ इटरनेट सर्च इंजन में शीर्ष 10 में बनी हुई है। अब यह मत पूछिए कि हिंदी कहां बोली जाती है। अब यह पूछिए हिंदी कहां नहीं बोली जाती है। इसका उत्तर होगा– सब जगह!

एक बार महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को गुजरात में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। वे चिंतित थे कि व्याख्यान किस भाषा में दे, गुजराती उन्हें आती नहीं थी तथा बंगला कोई समझेगा नहीं और अंग्रेजी व्याख्यान लोगों के समझ से परे होगा और उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर महाकवि ने हिदी में व्याख्यान दिया जिसे काफी सराहना मिली और महा कविने इसे हिंदी का जादू माना। सचमुच ये हिंदी का जादू ही है जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारी राष्ट्रीय एकता को समृद्ध व सदृढ़ करता है। हिदी भाषा के नामकरण में ही राष्ट्रीय एकता का भाव

समाहित है। भारत का एक पर्याय हिंदी है। हिंदी का एक अन्य अर्थ भारतीय भी है।

हिंदी ने ही जलाई थी स्वतंत्रता आन्दोलन की मशाल। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। यदि वे अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषाओं का उपयोग करते तो शायद उसे व्यापक राष्ट्रीय एकता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए हिंदी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता का वाहक बना। इसी के बदौलत है कि हम सब आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे है।

हिंदी एवं हिंदी राजभाषा को प्रचार–प्रसार के लिए 14 सितंबर, 1953 से अब हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते है। अब इसे व्यापक रूप से हर साल अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजिन किया जा रहा है। पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 में वाराणसी में हुआ। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 में सूरत में हुआ। अभी हाल में तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14–15 सितंबर, 2023 में पुणे में हुआ।

हिंदी भाषा को व्यापक रूप देने के लिए 10–14 जनवरी, 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागुपर मे हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय के सौजन्य से अभी हाल ही में 15–17 फरवरी, 2023 के दौरान फिजी में आयोजित किया गया। 10 जनवरी, 2006 से अब हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते है। 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास "रेत समाधी" के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली पुस्तक थी और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका हैं।यह हिंदी की सफलता की निशानी है।

एक दौर था जब किसी को भारतीय नायक द्वारा विश्वपटल पर कहीं हिंदी में अपनी बात रखी जाने पर वह समाचार सुर्खियों में आ जाता था। 4 अक्टूबर, 1977 की स्मृतियाँ किसे नहीं झिंझोर देती जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अपना संबोधन 43 मिनट तक हिंदी में दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा एवं भारत की संस्कृति को केवल आगे बढ़ाया ही नहीं है बल्कि ऐसे मील के पत्थर स्थापित कर दिए जो सदियों तक अविस्मरणीय रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में हिंदी की पताका फहराकर उसके प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग के अनंत द्वार खोल दिए है।

अनुवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु– उपसर्ग एवं वद– धातु से। अनु का अर्थ होता है– पीछे/बाद एवं वद का अर्थ होता है– बोलना। इसलिए अनुवाद का अर्थ होता है किसी के बोलना के बाद बोलना। अर्थात किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत् प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही 'अनुवाद' शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह मूलभाषा या स्रोतभाषा है। उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह 'प्रस्तुत भाषा' या 'लक्ष्य भाषा' है।

अनुवाद के बारे में एक विचित्र कहानी है। यह कहानी पवित्र ग्रंथ बाइबल से जुडी हुई है। आज से कई हजार साल पहले की बात है। इस पृथ्वी पर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। इसलिए

इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल था। लोग एक तरह के भाषा बोला करते थे। लोगों का मानना था कि इस आपदा के लिए ईश्वर जिम्मेवार हैं। लोग यह भी मानते थे कि ईश्वर स्वर्ग यानि आकाश में रहा करते हैं। ईश्वर स्वर्ग में बहुत सुख–चौन से रहा करते है। हमलोग को भी वहाँ यानि स्वर्ग में चलना चाहिए। सब ने हाँ भरी। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे चला जाएं?

सब ने सोच–विचार कर इसका एक समाधान निकाला। एक बड़े से बड़े मिनार का निर्माण किया जाएं। एक ऐसा मिनार जो स्वर्ग तक जाएं। मिनार बनना शुरु हुआ। मिनार बनते–बनते बहुत ही ऊंचा हो गया। स्वर्ग में बैठे देवता इतने ऊंचे बनते मिनार को देख कर अचंभित हो गए और कुछ क्षण के लिए डर भी गए । देवता के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ। इस बनते मिनार को कैसे रोका जाएं? देवतागण ने देखा कि सब लोग एक ही तरह की भाषा (सांकेतिक) बोल रहे है। इसलिए इनके बीच एकता है। इन सबको अलग–अलग भाषा दे दिया जाएं। सब लोग अलग–अलग भाषा बोलने लगे। कोई ईंट मांग रहा तो किसी को पानी सुना रहा है। खलबली मच गई । हम सब ने सुना होगा बैबेल मच गया यानि बवाल हो गया। उस मिनार का नाम ठंइमस ज्वूमत यानि अधूरा मिनार है। इस तरह भाषा मिल गई और अनुवाद की आवश्यकता महसूस होने लगी।

अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे देश की संस्कृति एवं परंपरा को समझते है। आज संसार में लगभग 200 देश है । सब देश अपने आप में अनोखा है। सबका अपना–अपना धर्म है। वेश–भूषा है। रहन–सहन है। धार्मिक ग्रंथ है। आज नए–नए खोज–आविष्कार हो रहे हैं। अनुवाद के सहारे ही ये सारी चीजों को जान पाते हैं । हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है "कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी" अर्थात् हमारे देश भारत में हर एक कोस की दुरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा यानि वाणी भी बदल जाती है। इस तरह की भाषिक–सांस्कृतिक विविधता को हम केवल अनुवाद के माध्यम से ही संप्रेषित कर सकते हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के के अंतर्गत 14 ऐसे दस्तावेज जैसे– संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्रों, सूचना, निविदा, संविदा प्रारुप इत्यादि आते हैं,जो अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में ही जारी किए जाने है। गहराई से अध्ययन करें तो लगभग पुरा प्रशासनिक कामकाज इन्हीं दस्तावेजों की परिधि में आ जाता है। यह काम अनुवाद के माध्यम से संभव हो पाता है।

अनुवाद एक कला है। आज संसार की जनसंख्या लगभग 8 बिलियन है। दुनिया में लगभग 65,00 भाषाएं बोली जाती हैं । और हम सब को इन भाषाओं से जोड़ने का काम अनुवाद करता है। आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। इस शताब्दी में आकर तो अनुवाद हमारी अनिवार्यता ही बन गई है। अनुवाद सिर्फ दो भाषाओं को निकट ही नहीं लाता है बल्कि दो संस्कृतियों एवं विचारों को निकट ले आता है। आज संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक कार्य छह भाषाओं में किया जाता है।कहने का तात्पर्य यह है कि आज विश्व मंच पर अनुवाद की कितनी महत्ता है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवादकों और भाषा पेशेवरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदानों को विश्व

भर में सराहा जाता है। अनुवाद को हम किसी एक भाषा में बांध नहीं सकते है। यह स्वयं एक दुनिया है।

भाषा और अनुवाद का संरक्षण करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। भारतीय संविधान के 8वी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हैं। सब भाषा अपने आप में विचित्र हैं। वे दिन दूर नहीं जब पुरा देश ही शिक्षा के एक सूत्र में समन्वित दिखाई पड़ेगा। आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक यह स्वप्न साकार होने की राह पर है। हिंदी एकता की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीयता की आत्मा है, हमारी पहचान और गर्व की कहानी है।

आज हम भारतीय गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आत्मा का प्रतीक है। यह हमारे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। यह हमारी आन–बान और शान है। इसके लिए हर भारतीय अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रगीत जन–गण–मन शब्दों का समंजन मात्र नहीं है। यह एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों के हृदय की गूंज है। इसी प्रकार ही हमारी हिंदी की महत्ता भी हम भारतीयों के अस्तित्व से कदापि कम नहीं है। हिंदी हम भारतीयों की पहचान है। अंत में "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल" की भावना से प्रेरित होकर देश को बचाना है, हिंदी को स्वर्णिम भविष्य की ओर लेकर जाना है।

****

कुछ अनुभव :

संवेदना

डॉ. सुजाता उपाध्याय
सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग

मित्रों यह लघु कथा सच्चे अनुभव पर आधारित है और एक संदेश है जो कथा के अंत में कहना चाहूंगी।बात 2019 की एक सुबह की है, सामने सड़क पर कुछ आवाज आई जैसे कि कुछ हो रहा हो। खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लोग सड़क पर रखे कूड़ेदान को उलट रहे थे। थोड़ी देर में पता चला कि कूड़ेदान से रोने की आवाज आ रही और किसी ने रात में कुत्ते के दो बच्चे कूड़ेदान में डाल दिये थे। कुछ सज्जनों ने कूड़ेदान को उल्टा कर उनको बचाया। फिर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। इसके बाद वर्ष 2020 मेंएक दूसरी घटना हुई । मैं और मेरी सहयोगी छात्रावास के रास्ते से जा रहे थे। अगले दिन कुछ कार्यक्रम था और हमलोग उस कारण से व्यस्त भी थे। रास्ते में देखा कि एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा खेल रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा कुत्ता आया और छोटे कुत्ते की गर्दन पर काँट दिया । हम लोग उसको बचाने के लिए दौड़े और जब पहुंचे तब उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। मेरी सहयोगी के पास गाड़ी थी और हम लोग उसको अस्पताल ले जाना चाहते थे। हम लोग चिल्लाये कि यह किसका है और फिर एक छोटी बच्ची आई और बोली कि हमारा है, पर इस समय घर में कोई भी नहीं है। हम लोग जब तक कुछ कर पाते छोटे कुत्ते के बच्चे की सांस ने उसका साथ छोड़ दिया। हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग कितने छोटे हैं इस अन्तरिक्ष में कि सामने मरता देखकर कुछ कर नहीं पाये!मेरी साथी मुझसे भी अधिक संवेदनशील थी और कई रात उस घटना का स्मरण कर सो नहीं पायी। कुछ प्रश्न हैं कि किसी ने कभी किसी को जानबूझकर कूड़ेदान में डाला और कभी कोई चाह कर किसी के प्राण नहीं बचा पाया। क्या हमारी संवेदना दूसरों को प्रभावित नहीं करती? कभी कभी हमारी संवेदना किसी के जीवन और मृत्यु का भी निर्धारण कर देती है।

"किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है"
– सर्वपल्ली राधाकृष्णन

मोबाइल और बच्चे

श्रीमती पिंकी राई
अर्ध व्यावसायिक सहायक
केंद्रीय पुस्तकालय

"विज्ञान का अत्याधुनिक अविष्कार
बच्चों पर पड़ा सौ का भार"

उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह है कि मोबाइल अत्यंत आवश्यक यंत्र होते हुए भी इसका सबसे मुख्य प्रहार बच्चों पर देखने को मिलता है। आज के जमाने में, जहां मोबाइल ने आम आदमी के दिनचर्या में खास स्थान बना लिया है वहीं पर कोरोना के दौरान जब बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई का दौर चला तब माँ–पिताजी के फोन दिन–भर ऑन रहने लगे और इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाई ने भी बच्चों पर मोबाईल–क्रेज को और भी बढ़ावा दिया। यह कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव कहा जा सकता है। यह नहीं है कि मोबाइल केवल दुष्प्रभाव डालता है बल्कि, इस यंत्र के अनेक फायदा के वजह से मनुष्य समयानुसार चल भी रहा है, किसी भी समस्या का समाधान चुटकी में हो जाता है। मोबाइल ने (कैशलेस लेनदेन) में भी बहुत अहम भुमिका निभा रहा है। बच्चे भी मोबाइल का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाईको और सकरात्मक रुप दे सकते हैं, किंतु ज्यादातर बच्चे मोबाइल पर यूट्यूब, गेम, रील्सको ही ज्यादा महत्व देते हैं, इस कारण मोबाइल उनकी पढ़ाई पर बुरा असर डाल रहा है। कितने नवजातशिशु आज–कल यूट्यूबपर कार्टूनदेखने के बाद ही खाने–सोने की आदी हो गई हैं, सभी बच्चे इस श्रेणी में नही आते,पर कुछ अभिभावक बच्चों को अनजाने में ही सही पर गलत आदतों का आदी बना रहे हैं।

अतः यह मोबाइल का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु हम अभिभावकों को जागरूक होने का समय आ गया है।

"बच्चों का मार्गदर्शक आप हैं, मोबाइल कतई नहीं"

सिक्किम में आई भीषण बाढ़ - एक रिपोर्ट

श्री गगन सेन छेत्री
यूडीसी (शैक्षणिक)

सिक्किम, जिसे अक्सर पूर्वी हिमालय का रत्न कहा जाता है, एक अनोखा और आकर्षक भारतीय राज्य है जो अपनी उल्लेखनीय भौगोलिक और जलवायु विविधता के लिए जाना जाता है। यह भारत के राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी गंगटोक और सबसे बड़ा शहर है. पूर्वी हिमालय में बसा यह राज्य मनोरम प्रकृतिक परिदृश्य के पर्यटकों के पसंदीदा भ्रमण स्थल है। राज्य का सबसे ऊँचा स्थान कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊँची चोटी और पृथ्वी पर तीसरी सबसे ऊँची चोटी भी है।

दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 की सुबह तीस्ता नदी में अचानक पानी का प्रवाह बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कई पुल, NH-10 के खंड, चुंगथांग बांध नष्ट हो गए और नदी घाटी के ऊपरी इलाकों में कई छोटे शहर और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रभावित हुईं। प्रभावित होने वाले मुख्य जिलों में नामची, गंगटोक, मंगन और पाकयोंग शामिल हैं। इस बाढ़ की घटना ने बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 14 पुलों का नुकसान भी शामिल है। इसके अलावा, प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइनें और 1320 आवासीय घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस बाढ़ का गहरा असर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले तक भी पहुंचा है। तीस्ता क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 48 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 79 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिक्किम में प्रभावित लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, जिसमें आश्रय, आय के स्रोत और पहचान पत्र शामिल हैं। इस आपदा में कई परिवारों के घर बहा ले गए, कईयों के घर में कीचड़ भर गए, जिसके कारण रहने–खाने में लाखों परिशनियों झेलने पड़े। सिक्किम सरकार, कई एनजीओ, सेनाबल और स्थानीय लोगों ने अपने–अपने स्तर पर तत्काल यथासंभव राहत कार्य की व्यवस्था करने लगें। आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी तत्पर हो गए।

सिंगताम, रंगपो, दिकचू और सिरवानी में स्थिति धीरे–धीरे सुधारने लगी । एनएच–10 बुरी तरह प्रभावित है, जिससे संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित हुई है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें यात्रा में काफी अतिरिक्त समय लगता है।

उफनती तीस्ता की एक झलक

तबाही के कुछ दृश्य

सिक्किम में तबाही मचाने वाली तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण कीचड़ और मलबे से अब तक 10 सैन्यकर्मियों सहित 34 शव बरामद किए गए हैं। 80 से अधिक लोगों की तलाश जारी है जो अभी भी लापता हैं।

- सिक्किम में हुई 36 मौतों के अलावा, उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी में 40 शव बरामद हुई । सिक्किम में चुंगथांग शहर और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग शहर से तीन से चार गाँव पूरी तरह से कट गए हैं।
- पाकयोंग जिले में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जिसमें 10 सैन्यकर्मियों सहित 22 लोग हताहत हुए हैं। इसके बाद गंगटोक में छह, मंगन में चार और नामची में दो मौतें हुईं।
- अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के कुल 1781 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव और निकासी प्रयासों से 2563 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। कुल 14 पुल या तो बह गए हैं या डूब गए हैं, जिससे राज्य के भीतर सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है।
- मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची के चार सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइन और सीवेज लाइनें नष्ट हो गई हैं। सड़क साफ करने का काम अभी चल रहा है।
- बाढ़ के कारण कुल 6,505 लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें चार जिलों में 25 राहत शिविरों में रखा गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 87,300 है।
- बताया गया है कि टूंग ब्रिज और चुंगथांग ब्रिज के ढह जाने के कारण चुंगथांग शहर (मंगन जिला) का संपर्क टूट गया है। चुंगथांग शहर का 80: हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ था । पानी की आपूर्ति, बिजली और दूरसंचार नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित हुए।

प्रकृति के इस कहर के बाद धीरे धीरे सिक्किम के जनजीवन सुधरने लगा। लोग अपनी क्षति, हानी को भूलकर पुनरू सामान्य होने की कोशिश करने लगे। सरकार और स्थानीय लोगों ने हर संभव सहायता की। अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बारिश आते ही तीस्ता का जल–स्तर बढ़ जाता है और यातायात बाधित होता है। सिक्किम को इस भयंकर आपदा से पूरी तरह से संभलने में समय लगेगा। आशा है ईश्वर भारत के इस मनोरम राज्य को सभी आपदाओं से बचाकर रखें।

****

विश्वविद्यालय में आयोजित राजभाषा हिंदी की विभिन्न गतिविधियों की एक झलक :

दिनांक 23 जून 2023 को सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में प्रो. अविनाश खरे जी, कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय का अभिभाषण

दिनांक 23 जून 2023 को सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में व्याख्यान देते हुए श्री जगदीश राम पौरी जी, निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा संगोष्ठी में श्री बदरी यादव जी, उपनिदेशक (प्रभारी), राजभाषा कार्यान्वयन (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी का सम्बोधन

दिनांक 23 जून 2023 को सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में श्री के. वी. एस. कामेश्वर राव जी, कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय का सम्बोधन

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में भाषण देते हुए श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देते हुए संगीत विभाग के छात्र

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करती हुई हिन्दी विभाग की छात्रा

संगोष्टी के अंत में समूह फोटो

हिंदी पखवाड़ा -2023

हिंदी पखवाड़ा–2023 के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश खरे जी का अभिभाषण

हिंदी पखवाड़ा–2023 के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के. वी. एस. कामेश्वर राव जी जी का अभिभाषण

हिंदी पखवाड़ा–2023 के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री प्रताप केशरी दाश जी का सम्बोधन

हिंदी पखवाड़ा–2023 के समापन समारोह में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. एस. मुरली मोहन जी का सम्बोधन

पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रमाणपत्र प्रदान की कुछ झलकियां

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण 11-15 दिसंबर 2023

पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण के समापन समारोह में मंचासीन (बाएं से) श्री जगत सिंह रोहिल्ला, सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली, श्री बदरी यादव, कार्यालय प्रभारी, राजभाषा कार्यान्वयन (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी, श्री के. वी. एस. कामेश्वर राव, कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय एवं श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुवाद प्रशिक्षण के समापन समारोह में अध्यक्षीय भाषण देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री, के.वी.एस. कामेश्वर राव

अनुवाद प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री बदरी यादव जी का सम्बोधन

अनुवाद प्रशिक्षण के दौरान व्याख्यान देती हुई श्रीमती लेख सरीन, सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुवाद प्रशिक्षण के दौरान व्याख्यान देते हुए प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय

अनुवाद प्रशिक्षण के समापन समारोह में प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटो

राजभाषा शील्ड –2023

सिक्किम विश्वविद्यालय को दिनांक 14 दिसंबर 2023 को आयोजित न.रा. का. स., गंगटोक की बैठक में तृतीय राजभाषा शील्ड –2023 से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की ओर से राजभाषा शील्ड –2023 प्राप्त करते हुए (बाएं से) डॉ. सुरेश कुमार गुरङ, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणीक)

प्रशासनिक लघु वाक्य

Action may be taken accordingly	तदनुसार कार्रवाई की जाए
As may be considered expedient	जैसा कि समीचीन प्रतीत हो
As recommended by the concerned department	संबंधित विभाग की सिफारिशों के अनुसार
Brief note is placed below for your readyreference	आपके सुलभ संदर्भ हेतु संक्षिप्त नोट नीचे प्रस्तुत है
Case is resubmitted as directed on prepage	पूर्व पृष्ठ पर निदेशानुसार मामला पुनः प्रस्तुत
Concurrence of the finance section is necessary in this matter	इस विषय में वित्त अनुभाग की सहमति आवश्यक है
Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
Copy forwarded for information/necessary action	सूचना के लिए/आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित
Explanation may be called for	स्पष्टीकरण मांगा जाए
Forwarded and recommended	अग्रेषित और संस्तुत
Forwarding letter is submitted for your signature please	अग्रेषण पत्र आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।
May be informed accordingly	तदनुसार सूचित किया जाए
Matter is under consideration	विषय विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है
May be treated as urgent	इसे अति आवश्यक समझा जाए
Necessary steps should be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए, आवश्यक कदम
No action required in this matter	इस विषय पर कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
Notes and orders at page...may please be seen in this connection	इस संबंध में पृष्ठ–––पर दिए गए आदेशों और टिप्पणियों को कृपया देख लिया जाए
Office order/circular/notification may be issued	कार्यालय आदेश/परिपत्र/अधिसूचना जारी कर दिया जाए
Please comply before due date	कृपया नियत समय से पहले इसका पालन करें
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Please treat this as strictly confidential	इसे सर्वथा गोपनीय समझें
Relevant papers be put up	संबंधित कागज–पत्र प्रस्तुत किए जाए
Reminder may be sent	अनुस्मारक भेजा जाए, स्मरणपत्र भेज दें
Submitted for information	सूचनार्थ प्रस्तुत
Submitted for approval	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत
Submitted for your kind perusal and approval	आपके अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है
Such action as may be deemed necessary	ऐसी कार्रवाई जो आवश्यक समझी जाए
Until further order(s)	अगले आदेश तक
Verified and found correct	पड़ताल की और ठीक पाया गया
Without any further reference	बिना किसी और परामर्श के

जारी .....

राजभाषा सिक्किम

(भाषा,साहित्य और शिक्षा का नवीन संगम)
अर्धवार्षिक पत्रिका
संयुक्त अंक

(जुलाई–दिसंबर 2023 और जनवरी–जून 2024)

लेखकों से अनुरोध :

1. पत्रिका में छापने के लिए भेजी जानेवाली सामग्री यथासंभव सरल और सुबोध होनी चाहिए। रचनाएँ प्रायः टंकित रूप से भेजी जाएँ। हस्तलिखित सामग्री यदि भेजी जाएँ तो वह सुपाठ्य, बोधगम्य तथा सुंदर लिखावट में होनी अपेक्षित है। रचना की मूलप्रति ही भेंजे।

2. पत्रिका में प्रकाशन के लिए किसी भी विधा जैसे कविता, कहानी, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण, अपना अनुभव, विज्ञान से संबन्धित रिपोर्ट आदि भेजी जा सकती है।

3. लेख आदि का फॉन्ट मंगल अथवा कोकिला हो। लेख 5 टंकित पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. अनुवाद सामग्री के साथ मूल लेखक की अनुमति भेजना अनिवार्य है।

5. रचना के ऊपर अपना नाम, विभाग और पता अँग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होना चाहिए।

6. सामग्री के प्रकाशन विषय में संपादक–मंडली का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

7. रचनाओं की अस्वीकृति के संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत रचनाओं को लौटाया नहीं जाएगा।

संपादकीय कार्यालय
हिंदी प्रकोष्ठ, सिक्किम विश्वविद्यालय,
प्रधान प्रशासनिक भवन, 6 माइल, तादोंग,
गंगटोक, सिक्किम – 737102, hc@cus-ac-in

विशेष सूचना : पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। उन विचारों से सिक्किम विश्वविद्यालय अथवा संपादक मंडली के सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

साभार : फोटोग्राफी - श्री केशव कुमार बिशुंकेय

सिक्किम विश्वविद्यालय
6 माइल, तादोंग, गंगटोक
www.cus.ac.in